

ग्रामदान प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

ग्रामदान-गोष्ठी

१९, २०, २१, २२, २३ अप्रैल १९६६
सर्व सेवा संघ, वाराणसी



सर्व सेवा संघ प्रकाशन

Manibhavan

प्रकाशक :

मन्त्री, सर्व सेवा सच,

राजघाट,

वाराणसी



संस्करण : दूसरा

प्रतियाँ : १,०००, नवम्बर, १९६६

कुल प्रतियाँ : १५००

मूल्य : एक रुपया



मुद्रक :

ओम्प्रकाश कपूर,

ज्ञानमण्डल लिमिटेड,

वाराणसी ६६७७-२३

अपनी ओर से

पिछले अप्रैल में वाराणसी में जो ग्रामदान-गोष्ठी हुई, उसमें ग्रामदान के कई पहलुओं पर गम्भीर और विस्तृत चर्चाएँ हुईं। सबसे महत्त्वपूर्ण किया कि ग्रामदान जिस प्रान्ति की बात कहता है, उसका 'चित्र' जनता के सामने स्पष्ट भाषा में रचना चाहिए, और उस 'चित्र' की भूमिका में ग्रामदान के बाद विकास की जो दिशा है उसे भी तय कर लेना चाहिए। ये दोनों काम गोष्ठी में बहुत कुछ हुए। यों तो ग्रामदान-मूलक प्रान्ति के नये रूप बराबर निपटरे जा रहे हैं, और उसकी समस्याएँ और सम्भावनाएँ तेजी से प्रकट हो रही हैं। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि ग्रामदान पर चिन्तन का प्रवाह रुकने न पाये और उसके लिए सामग्री बराबर मिलती रहे। यही सोचकर हम गोष्ठी की रिपोर्ट मात्र न निकालकर एक पुस्तक ही प्रकाशित कर रहे हैं।

आज दुनिया में गांधी-विचार का आधार मानकर दो ही जन-आन्दोलन चल रहे हैं—एक अमेरिका में नीग्रो-आन्दोलन और दूसरा भारत में ग्रामदान-आन्दोलन। ये दोनों मनुष्यों के समाज में मनुष्यता की स्थापना के आन्दोलन हैं, इसलिए इनका विवरण-रूप है। इनकी भूमिका में कोई संकीर्ण 'आइडियलाजी' नहीं है, बल्कि है जीवन के सार्वजनिक मूल्य—जिनकी रक्षना मनुष्य ने सदियों पहले की, जिनकी योजना गांधीजी छोड़ गये और अब जिनकी साधना—सामाजिक साधना—करने का गौरव हम कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है।

यह पुस्तक हमें इतिहास के प्रवाह के साथ जोड़ने में सहायक होगी। हमारा मुझाय है कि हर कार्यकर्ता और इन प्रान्ति में रति रखनेवाला हर नागरिक इस छोटी पुस्तक की एक प्रति अपने पास जरूर रखे।

इस ग्रामदान-गोष्ठी का आयोजन और संचालन भाई राममणि ने किया है। इस कार्यक्रमिका को संचार करने का श्रेय भी उनकी ही है। इसके लिए मैं उनको और उनके साथियों के प्रति-जिज्ञासों इस काम में उनकी मदद की है, साथ ही और मेरी शुभकामना प्रकट करता हूँ।

—गणेशचन्द्र

सूत्री

सबं मेरा संघ

अनुक्रम

पृष्ठभूमि

७-१०

मामूली सेवा बगैरह अभी नहीं,
इस वक्त नहीं । इस वक्त भ्राति,
भूमि-क्राति ।

। ग्रामदान : प्रचार (लोक-शिक्षण)	११-३७
१ ग्रामदान-मूलक भ्राति का चित्र (इमेज)	११
(क) दूर का चित्र (अल्टिमेट इमेज)	११
समग्र विकास की मानवीय भूमिका	११
बन्धनों से मुक्ति	१२
मूल्यों की भ्राति	१३
नागरिक भ्राति बनाम गुट का पङ्कज	१४
'एलिमिनेशन' नहीं, 'एसिमिलेशन'	१६
व्यक्ति, गाँव और विश्व	१७
शान्तिपूर्ण प्रतिवार यानी पूर्ण आत्मोत्सर्ग की तैयारी	१८
(ख) तात्कालिक चित्र (इमीडिएट इमेज)	१९
ग्रामदान प्रतिस्था, विकास और लोकतंत्र के लिए	१९
सघर्ष-मुक्त समन्वय की भ्राति	२०
सामूहिक पुरुषार्थ अनिवार्य	२३
राष्ट्र की भावनात्मक एवता और ग्रामदान	२४
विकास की योजना, पूँजी, शक्ति	२५
लोकनिष्ठ समाज-रचना	२५
दलमुक्त व्यवस्था-युनिपादी लोकतंत्र	२७
विविध समस्याओं की चुनौती	२८

लोकतान्त्रिक समाजवाद का शुभारम्भ	३०
'बहु' को नहीं, 'सर्व' को जीवन-नीति	३१
स्त्री और मजदूर-मुक्ति	३१
जनता सत्रिय कैसे हो ?	३२

२ चित्र (इमेज) कैसे प्रस्तुत करें ?	३३
(क) साहित्य द्वारा	३३
(ख) सम्पर्क द्वारा	३५
(ग) तात्कालिक स्थानीय समस्याओं को माध्यम बनाकर	३७

२. ग्रामदान : प्राप्ति (लोक-निर्णय) ३८-५२

१ ग्रामदान की शर्तें और कुछ प्रश्न	३८
(क) क्या स्वामित्व-विसर्जन की शर्त ढीली की जाय ?	३८
(ख) भूमि की विपरी या बधक के लिए ग्रामगभा की अनुमति	३९
(ग) मजदूर को किसान बनाने पर उत्पादन-बद्धति क्या हो ?	४०
(घ) भूमिहीनता मिटाने का सवाल	४३
(ङ) मालिक-मजदूर बोध की धार	४५
(च) सर्वसम्मति, सर्वानुमति का व्यावहारिक स्वरूप	४५

२ ग्रामदान एक जन-आन्दोलन का मात्र कार्यक्रम ?	४८
(क) ग्रामदान में कृषान की गति कैसे आये ?	४८
विरोध	४९
जाना की उदासीनता	५०
अपूर्णाता—कार्यकर्ताओं की, विचार की ?	५०

३ (क) आन्दोलन की स्थिति कुछ ग्राम बने	५१
(ख) आन्दोलन की स्थिति कुछ अन्य बातें	५२

३. ग्रामदान : पुष्टि (लोक-मगडन) ५३-७०

१ निर्माण ग्रामदान का पक्का करना	५३
प्रागल्भिक निर्माण-कार्य	५४

ग्रामसभा	५४
सरकार से कानूनी सम्बन्ध	५६
बीघा-कट्टा	५७
ग्रामकोष	५८
हिसाब-किताब	५९
ग्रामदान को पक्का कब मानें ?	५९
२. विकास - पोषण—लक्ष्य-चित्र	६१
उत्पादन-वृद्धि	६१
शोषण-मुक्ति	६२
नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास	६२
समग्र-चित्र	६३
विकास की योजना, संगठन, पूंजी	६४
ग्रामदानी गाँव के शिक्षण की योजना	६६
छादी-ग्रामोद्योग	६८
३ शान्ति-सेना : रक्षण	६८
४ अन्य विशेष बातें	६९
गोष्ठी के सुझाव	६९
अध्ययन व शोध के विषय	७०
प्रयोग व चिन्तन के पहलू	७०
परिशिष्ट :	७१-८३
१. छादी समिति के सुझाव	७१
२. (अ) ग्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र	७७
(आ) ग्रामदान का व्यक्तिगत समर्पण-पत्र	८०
३. ग्रामदान-गोष्ठी में भाग लेनेवालों की सूची	८२

पृष्ठभूमि

‘भारत छोड़ो’—आन्दोलन के समय आचार्य कृपालानी ने बापू से कहा था “अगर खादी-कार्यकर्ता आन्दोलन में लगते हैं तो यह लाखों रुपये की पूंजी से चल रहा खादी का काम चौपट हो जायगा, सारा सगठन बिखर जायगा ।” बापू का जवाब था “जला डालो सूत और कपड़े अगर जलरत पड़े तो ! यह आखिरी लड़ाई है । करो या मरो ।”

यह बात सन् १९४२ की है। आज १९६६ में विनोबा भी उसी तीव्रता से कह रहे हैं—“हमारे अन्दर की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए । दूसरी मामूली सेवा वर्ग रह अभी नहीं, इस वक्त नहीं । इस वक्त क्रान्ति, भूमि-क्रान्ति चाहिए ।”

विनोबा जिस क्रान्ति की इतनी तीव्रता महसूस कर रहे हैं, उसके वाहको के लिए उन्होंने कहा है—“कार्यकर्ता विचार के प्रतिनिधि हैं । वे जहाँ-जहाँ जायेंगे, अग्नि के समान जायेंगे । अग्नि लगायी जाती है, तो जगल के जगल साफ हो जाते हैं । हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसी अग्नि के समान प्रवेश होना चाहिए ।”

हम कार्यकर्ता जिस विचार के प्रतिनिधि हैं, विनोबा के ही शब्दों में वह ‘सर्वोदय विचार जीवन की एक स्वयंपूर्ण और विधायक दृष्टि’ है, जिसका प्रारम्भ-बिन्दु ग्रामदान है । इस ग्रामदान-मूलक क्रान्ति की पूरी ‘इमेज’ हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए, और इससे भी आगे हमारे अन्दर उम क्षमता का विकास होना चाहिए, जिससे हम इस क्रान्ति की ‘इमेज’ को जनसाधारण तक पहुँचा सकें ।

चाण्डिल सर्वोदय-सम्मेलन (१९५३) में विनोबा ने कहा था—“हमें

तीसरी शक्ति खड़ी करनी है। तीसरी शक्ति का मतलब आज दुनिया की परिभाषा में यह होता है कि जो शक्ति न अमेरिका के 'ब्लॉक' में पड़ती है, न रूस के 'ब्लॉक' में। उसको लोग तीसरी शक्ति कहते हैं। लेकिन मेरी तो तीसरी शक्ति की परिभाषा होगी। जो शक्ति हिंसा की विरोधी है, अर्थात् जो हिंसा की शक्ति नहीं है, और जो दण्ड-शक्ति से भिन्न है, अर्थात् जो दण्ड-शक्ति नहीं है। ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है तीसरी शक्ति।" उस तीसरी शक्ति का उद्घोष करते हुए विनोबा ने उसी सम्मेलन में कहा था कि "हमें स्वतन्त्र लोकशक्ति निर्माण करनी चाहिए—हिंसा-शक्ति की विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न।"

इसी लोक-शक्ति के निर्माण के लिए त्रिविध कार्यक्रम को तूफान की गति दी जा रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि त्रिविध कार्यक्रम मूलतः विचार-क्रान्ति की ही एक योजना है। और इस विचार-क्रान्ति की प्रक्रिया लोक-शिक्षण की है। निश्चित रूप से किसी प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया दूसरो पर कोई विचार, कल्पना, योजना या और कुछ भी, जबरदस्ती लादने की प्रक्रिया नहीं है। बल्कि वह एक पारस्परिक विनिमय की प्रक्रिया है, जिसके लिए सामनेवाले की भावना, उल्लेख, सकोच और शिक्षक को समझना, उसकी ऊँचाई-निचाई, गहराई-उधलेपन को जानना, पहचानना आवश्यक है। हमारा विचार सामनेवाले के अन्तर को स्पर्श करे, इसके लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन ही सही, हमारा उसका एक पारस्परिकता का भाव-सम्बन्ध स्थापित हो। तभी, जैसा कि विनोबा का कहना है, हम विचार के आधार पर खड़े हो सकते हैं, और वह 'शिव-शक्ति' पैदा कर सकते हैं, जो हमें पैदा करनी है।

इसके लिए विचार-प्रचार का अटूट उत्साह और विचार-शक्ति पर जागृत निष्ठा हमारे अन्दर पैदा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ही अधिक विचार फैलेगा, हमारा काम उतनी ही अधिक सफलता की मजिलें तय करेगा।

विचार की स्पष्टता के अभाव में हम अक्सर फुटकर कामों में पँसते

रहते हैं और घटना-विशेष से प्रभावित होकर धैर्य खोते रहते हैं। कभी-कभी तो हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य है 'सम्पूर्ण-नान्ति' (टोटल रेवोल्यूशन) ! हम आज की सम्पूर्ण सामाजिक रचना ही बदलना चाहते हैं। विनोबा कहते हैं—“आँखें खोलते ही चारों ओर अन्याय ही अन्याय दिखाई दे रहा है। रचनात्मक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक और गद्दी से लेकर छादी तक। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटे-छोटे कामों में व्यर्थ शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए।” तात्कालिक घटनाओं की विभीषिकाओं से पैदा हुई दया-भावना का जो आवेग हमें अक्सर दिग्भ्रान्त करता रहता है, उस सदम में विनोबा ने एक उदाहरण द्वारा बहुत ही स्पष्ट मार्ग-दर्शन किया है “एक ही युद्ध का एक अंग है जर्मनी सिपाहियों की सेवा करना। युद्ध की परस्पर-विरोध गति स्पष्ट है। एक क्रूर कार्य है, दूसरा दया का कार्य है। यह हर कोई जानता है। पर उस दयालु हृदय की वह दयालुता और नूर हृदय की वह श्रुता, दोनों मिलकर युद्ध बनता है। ये दोनों युद्ध को बनाये रखनेवाले दो हिस्से हैं। बठोर वैज्ञानिक भाषा में बोलना है तो युद्ध को जब तक हमने कबूल किया है, तब तक चाहे हमने उसमें जर्मनी सिपाहियों की सेवा का पेशा लिया है, चाहे सिपाही का पेशा लिया है, हम दोनों युद्ध के गुनहवार हैं। जर्मनी सिपाहियों की उस सेवा से हिंसा में लज्जत ही पैदा होती है, परन्तु युद्ध की समाप्ति उस दया से नहीं हो सकती।”

चाहे यह आर्थिक शोषण और दैन्य की विभीषिका हो, साम्प्रदायिक उपद्रवों का ताण्डव हो, राजनैतिक विद्वेष की घघवती हुई ज्वाला हो, राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय अशांति हो, सबका मूल कारण यह है कि वर्तमान समाज की पूरी रचना ही हिंसा पर आधारित है। विनोबा के शब्दों में “आज समाज की जो रचना है, उसीमें अन्याय निहित है। उसीके खिलाफ यह ग्रामदान-आन्दोलन है। जब तक समाज की यह रचना नहीं बदलेगी, तब तक उसमें जो दोष 'इन्हेरेन्ट' (स्वभावगत) हैं, उनको 'टालन्ट' (सहन) भी करना पड़ सकता है।”

ग्रामदान से प्रारम्भ कर हम सर्वोदय की इस अहिंसक क्रान्ति द्वारा पूरे समाज की गतिशक्ति (डाइनेमिक्स) बदलना चाहते हैं। इसलिए ग्रामदानमूलक क्रान्ति की 'इमेज' कार्यकर्ताओं के सामने, देश के प्रबुद्ध नागरिकों के सामने, और जो इस क्रान्ति में बुनियादी-वाहक हैं, उस करोड़ों-करोड़ ग्रामीण जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी 'इमेज' पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए।

पिछले अप्रैल '६६ की १९, २०, २१, २२, २३ तारीखों को सर्वं सेवा सघ के प्रधान कार्यालय—वाराणसी में, ग्रामदान-आन्दोलन के प्रत्यक्ष कार्य में लगे देश के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी श्री सिद्धराजदुर्गा की अध्यक्षता में हुई। कुल आठ बैठकों में जितनी चर्चाएँ हो पायी, उनसे विचारों की बहुत सफाई हुई। और, इससे सबने जो विचारमय-स्फूर्ति महसूस की, उसके आधार पर ही गोष्ठी ने यह तय किया कि देश के हर प्रान्त में, हर जिले में, और हर ग्रामदानी गाँव में ग्रामदान-मूलक क्रान्ति की 'इमेज' स्पष्ट करने के लिए गोष्ठियाँ आयोजित की जायें और इस प्रकार एक व्यापक लोक-शिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाय। लेकिन फिलहाल प्रथम प्रयास में हर प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रान्तीय स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित की जायें। ऐसा सबने सोचा। इन गोष्ठियों का अधिक उपयोग हो, इनसे विचार-शिक्षण हो सके, इस दृष्टि से वाराणसी की ग्रामदान-गोष्ठी के निष्कर्ष सक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आन्दोलन बढ रहा है। प्रखण्डदान के रूप में उसका नया चित्र सामने आया है। सामने और बहुत-कुछ दिखायी दे रहा है। नयी सम्भावनाएँ और सम्भावनाओं के साथ नयी समस्याएँ प्रकट हो रही हैं। हम सम्भावनाओं का लाभ ले सकें और समस्याओं को हल कर सकें, इसलिए बार-बार मिलने और मिलकर सोचने की जरूरत है।

ग्रामदान : प्रचार (लोक-शिक्षण) : १ :

१. ग्रामदान-मूलक क्रान्ति का क्या चित्र (इमेज) जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय ?

हर क्रान्ति जनता के सामने भावी समाज-रचना का एक चित्र रखती है। उस चित्र में मनुष्य अपनी समस्याओं का हल, चिन्ताओं से मुक्ति, और आशाओं की पूर्ति देखता है, और देखकर ही कुछ करने को तैयार होता है। इसलिए क्रान्ति के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य दूर और नजदीक, दोनों के होते हैं। दोनों समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

क. दूर का चित्र (अल्टिमेट इमेज)

(१) सम्पूर्ण मनुष्य के समग्र विकास (डेवलपमेण्ट) की उन्नत भूमिका—विज्ञान के लाभ और लोकतन्त्र के अवसर 'सर्व' के लिए सुलभ करना—नये मानवीय सम्बन्धों के सम्बर्ध में ही साधनों और अवसरों का उपयोग। ग्रामदान से धारतव में गाँव का 'जन्म'—मानवीय परिस्थिति (ह्यूमन सिचुएशन) का निर्माण—धर्म, बुद्धि और पूंजी के पूर्ण सहयोग की भूमिका।

आज लोक-कल्याण के नाम पर विकास की जो सरकारी या अर्द्ध-सरकारी योजनाएँ चलती हैं, वे समाज की बेवल मरहमपट्टी करती हैं। इसलिए जड़ से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाज की बुनियादें तो बदलती ही नहीं। पिछले वर्षों में अपने देश में जो भी योजनाएँ

चली है, उनसे ऊपर के ही कुछ लोगों को लाभ पहुँचा है। समाज के अधिक लोगो तक भी नहीं पहुँचा है, 'सर्व' की तो बात ही क्या ? आज के समाज की रचना ही ऐसी है कि कोई भी योजना हो, ऊपर-ऊपर निकल जाती है और नीचे के लोग अछूते रह जाते हैं, क्योंकि ये योजनाएँ विकास के लिए आवश्यक मानवीय सन्दर्भ का निर्माण नहीं करती।

ग्रामदान से गाँव का नया जन्म होता है। आज गाँव गाँव नहीं, केवल घरों के समूह हैं। उनमें न ग्राम-भावना है, न एकता, और न कोई आपसदारी। जब ग्रामदान होता है, बीघे में कट्टा निकलता है, बालिगों की ग्रामसभा बनती है और सबकी कमाई से ग्रामकोष इकट्ठा होता है, तो गाँव के मालिक-मजदूर-महाजन सब एक दायरे के अन्दर आ जाते हैं, एक सूत्र में बँध जाते हैं। ग्रामसभा में बैठकर सबको सबकी बात सुननी और सोचनी पड़ती है। एक को दूसरे से अलग करनेवाली दीवारें ढहती हैं, और दिल धीरे धीरे नजदीक आते हैं। इस तरह जब सम्बन्ध नये होते हैं, तो स्वभावतः नये साधनों और अवसरों का लाभ सबसे पहले उनको पहुँचाने की चिन्ता होती है, जो सबसे नीचे होते हैं। सामने बैठे हुए दुखी, भूमिहीन मजदूर या दरतकार को, जो ग्रामसभा का बराबर दर्जे का सदस्य है, छोड़कर सब कुछ अपनी जेब में रख लेने की योजना मालिक या महाजन नहीं बना सकते। इसके विपरीत सब यह महसूस करने लगते हैं कि सबसे सबका भला है, अलग-अलग रहने में सब बारी-बारी दुख के शिकार होंगे। सबकी चिन्ता है तो सबकी चेष्टा होनी चाहिए, और इसी तरह जब सबकी शक्ति लगेगी, तो सबका हित हो सकेगा।

(२) आज के बन्धनों से मुक्ति—राज्यवाद, पूँजीवाद, सैनिकवाद, सम्प्रदायवाद। राज्य, पूँजी और शस्त्र की शक्तियों को प्रमत्त लोभशक्ति के अधीन करना और उनके प्रयोग सीमित करना ताकि प्रविध्य में उनका लोप हो सके और समाज मुक्त, और निरुपाधिक मानवों या भाईचारा बन जाय।

विचार के आप्रह से जुड़ जाय, तो वह विज्ञान नहीं रह जायगा । इसी तरह अगर लोकतन्त्र अहिंसा का आधार छोड़ दे, तो वह सख्या-तन्त्र बन जायगा, बहुमत अल्पमत का दमन करेगा, और अल्पमत 'विरोधवाद' को अपना धर्म बना लेगा । नतीजा यह होगा कि इस अराजकता में से फौजी तानाशाही का जन्म होगा । निराश जनता विवश होकर घ्राण के लिए अपने को सेना के हाथों में सौंप देगी ।

विनोबाजी बराबर कहते हैं कि विज्ञान और आत्मज्ञान का मेल होना चाहिए । अगर ऐसा नहीं होगा तो विज्ञान ने जो शक्तियाँ पैदा की हैं, जो साधन बनाये हैं, उन्हें लेकर मनुष्य-जाति अपना सर्वनाश कर डालेगी । इसलिए अगर विज्ञान को मनुष्य के अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्ति का साधन बनाना हो, तो समाज में अनुकूल मानवीय सम्बन्धों का सन्दर्भ बनाना चाहिए । अगर मनुष्य की बुद्धि किसी सिद्धान्त के नाम पर उत्तेजना, आप्रह और उन्माद की गुलाम बनी रहे, तथा एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच सहकार नहीं, शत्रुता का सम्बन्ध हो, तो निश्चित रूप से मनुष्य विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए करेगा । ग्रामदान पड़ोसी को पड़ोसी के साथ जोड़ता है, जीविका और जीवन दोनों को सहकारी बनाता है, इसलिए सत्य (विज्ञान) और अहिंसा (लोकतन्त्र) की स्थापना के लिए मानवीय सम्बन्धों का अनुकूल सन्दर्भ तैयार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि मनुष्य-मनुष्य के वास्तविक हित में विरोध है ही नहीं, विरोध समाज की रचना में है । मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्य होने के नाते एवता मूलभूत है । मनुष्य 'एक' होकर ही रह सकता है । आज के युग में एवता अस्तित्व का प्रश्न बन गयी है । ग्रामदान की क्रान्ति मनुष्य को मनुष्य से किसी जीवन-दर्शन (आइडियोलॉजी) के आधार पर अलग नहीं करती, वह मूलभूत एवता को समाज-परिवर्तन की शक्ति बनाती है ।

(४) नागरिक की क्रान्ति बनाम गुट का वृद्धन्त्र और दल का शासन । लोकतन्त्र और विज्ञान की भूमिका में सघर्ष

मुरत क्रान्ति—कान्पिलवट या कन्क्रन्टेशन नहीं, कन्वर्शन—
उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया ।

विज्ञान और लोकतन्त्र की भूमिका में क्रान्ति सघर्ष-मुक्त ही सम्भव है । स्वभावतः सघर्ष-मुक्त क्रान्ति की प्रक्रिया पड्यन्त्र या विरोधवाद की न होकर विचार-परिवर्तन की होगी, शिक्षण की होगी । विज्ञान विचार की शक्ति पर खड़ा है और अगर लोकतन्त्र विचार-परिवर्तन पर न विश्वास करे, तो वह टिकेगा कितने दिन ?

विज्ञान के युग में सघर्ष का अर्थ है सहार । जितना ही बड़ा सघर्ष उतना ही व्यापक और जल्द सहार । उसी तरह लोकमत पर चलनेवाले लोकतन्त्र का तो सघर्ष से कहीं मेल ही नहीं है । इसलिए अगर विज्ञान और लोकतन्त्र की रक्षा करते हुए क्रान्ति करनी है, तो वह क्रान्ति सघर्ष-मुक्त ही हो सकती है । और, जो क्रान्ति सघर्ष से मुक्त होगी, उसमें पड्यन्त्र आदि के लिए स्थान कहाँ होगा ? वह खुली होगी, वह सबकी होगी, उसके पीछे लोक-सम्मति की शक्ति होगी । वह विश्वास रखेगी कि मनुष्य का विचार-परिवर्तन हो सकता है । उसका आधार गुट या दल का समर्थन नहीं होगा, बल्कि होगा लोक की प्रेरणा, लोक का निर्णय । ग्रामदान की क्रान्ति में परिस्थिति की प्रतीति के आधार पर विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया है । ग्रामदान लोकतन्त्र के 'तन्त्र' को गौण मानकर 'लोक' को जगाता है, उसे सशक्त बनाता है । इतना ही नहीं, ग्रामदान का लोकतन्त्र बहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नहीं, स्वयं 'लोक' की सहकार-शक्ति पर भरोसा रखता है । इसलिए ग्रामदान विज्ञान और लोकतन्त्र के युग के अनुरूप क्रान्ति-पद्धति विकसित करने की दिशा में बुनियादी बदल है । युग के साथ-साथ क्रान्ति की पद्धति भी बदलती जाती है । एक जमाना था, जब मुक्ति के लिए राजा की जालिम सत्ता के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ना पड़ता था । फिर पड्यन्त्र और सघर्ष का जमाना आया । उस का क्रान्तिकारी नेता लेनिन कितना भी चाहता, लेकिन जारशाही के अन्त के लिए पड्यन्त्र और सघर्ष (कान्पिलवट) के निवाय

दूसरा करता क्या ? जमाना उससे भी आगे बढ़ा तो गांधीजी का अंग्रेजी राज के मुकाबिले दबाव (क्वॉन्ट्रोल और प्रेशर) से काम चल गया। अब यह जमाना एक ओर लोकतन्त्र का है, विज्ञान की असीम सम्भावनाओं का है, और दूसरी ओर विषय सघ का है। ऐसे जमाने में क्रान्ति की वही पद्धति सही होगी, जो लोकतन्त्र और विज्ञान को मानव-वल्याण के लिए बचा ले, फिर भी समाज का परिवर्तन कर दे। वह पद्धति मनाव और शिक्षण (परसुएशन और एजूकेशन) की ही हो सकती है। अब हिंसा और सहार अनुचित भी हैं और अनावश्यक भी। हजारों ग्रामदान और दर्जना प्रखण्डदान इस बात के प्रमाण हैं कि मनुष्य की चेतना मुक्ति के लिए तैयार है—सघर्षमुक्त क्रान्ति के लिए।

(५) सार्वत्रिक अभय-भावना। 'एलिमिनेशन' की क्रान्ति में भय, लेकिन 'ऐसिमिलेशन' की प्रक्रिया में भय के लिए स्थान नहा।

ग्रामदान में सार्वत्रिक अभय-भावना है। इसमें भय के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। इसकी योजना में अभाव, अज्ञान या अन्याय से मुक्ति के लिए व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का, जाति द्वारा जाति का, वर्ग द्वारा वर्ग का सहार (एलिमिनेशन) करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है पूरी व्यवस्था बदलने का, और ऐसी रचना करने का जिसमें सबके लिए उचित स्थान हो, लेकिन कोई किसीके सीने पर सवार न हो। आज की व्यवस्था में सभी चिन्तित हैं और मुक्ति चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यवस्था के सामने असहाय हो गया है। वह देख रहा है कि अकेले-अकेले वह जीवन की समस्याओं का मुकाबिला नहीं कर सकता। जैसे-जैसे यह प्रतीति व्यापक होती जा रही है, सहकार शक्ति के विकास के लिए ठोस आधार बनता जा रहा है। क्रान्ति का जो विचार मालिव मजदूर को एक दूसरे का दुश्मन मानता था, वह पुराना हो गया। सर्वोदय की क्रान्ति यह मानती है कि सभी व्यक्ति और समुदाय दूषित व्यवस्था हैं। आज जब तक समाज और अवसर मिले, तो {

उठेगा (विज्ञान के इस युग में मनुष्य ऊपर उठना ही चाहता है, लेकिन सरकार और समाज की रचना उसे उठने नहीं देती) वह बार-बार उठना चाहता है, और बार बार गिरा दिया जाता है, और जब वह गिर जाता है तो उसका गिरना उसकी भालायकी का प्रमाण बन जाता है, और डण्डे की शक्ति से उसे सुधारने का स्वाँग रचा जाता है । लेकिन भय से वही गुण-विकास हो सकता है ? और, गुण विकास के बिना मनुष्य मनुष्य बन सकता है ? मनुष्य मनुष्य की सहायता से मनुष्य बनेगा, डण्डे के जोर से नहीं । पडोसी को पडोसी की शक्ति मिले और दोनों हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़े, इसकी बुनियादी योजना ग्रामदान-प्रखण्डदान में है, वल्कि वही उसका आधार है । ग्रामदान केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, उसमें समाज-परिवर्तन है, चित्त-परिवर्तन है । लेकिन परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति या समुदाय का सहार (एलिमिनेशन) नहीं है ।

(६) जीवन का सगठन सामुद्रिक वर्तुलो में—व्यक्ति और गाँव से लेकर विश्व तक । गाँव 'सहजीवन' की स्वाभाविक इकाई ।

आज मनुष्य और मनुष्य के बीच अनेक दीवालें हैं—धन की, धर्म की, जाति की, सम्प्रदाय की, भाषा की, क्षेत्र की, जन्म की, ससृष्टि की, यहाँ तक कि राष्ट्र भी एक जबरदस्त दीवाल हो है जो विश्व-मानव के विश्व-हृदय को ऊपर नहीं आने दे रही है । एक ही राष्ट्र के अन्दर स्वयं सरकार ने तरह-तरह की दीवालें बना दी हैं । जिला, राज्य, शासन शासित, शिक्षित-अशिक्षित, दल और दल, आदि दीवालें ही तो हैं, जिनके आपसी टकराव के भँवर में आदमी पडा हुआ है, और किसी मोहक लेकिन समुचित नारे के उन्माद में अपनी पाशविकता का प्रदर्शन करने में ही अपने जीवन की मार्थवता मानता रहता है ।

गाँव जीविका और जीवन की स्वाभाविक इकाई है । इस वर्तुल के भीतर परिवार है, उसने भी भीतर व्यक्ति, जो सबके केन्द्र में है । व्यक्ति-परिवार-गाँव के बाद प्रथम सहकारी समाज में सहकार के वर्तुल बढने

जायेंगे। इसके विपरीत आज समाज के ढाँचे में ऊपर से नीचे तक अनेक परतें हैं, जिनमें एक परत दूसरे के नीचे दबी हुई है।

प्रेम और सहकार के ये वर्तुल समुद्र के वर्तुलो की भाँति होंगे, जिनमें छोटा वर्तुल विकसित होकर बड़ा वर्तुल बनता है, और बनता ही जाता है। छोटा बड़े में विलीन होता है, लेकिन छोटे का विनाश नहीं करता। एक दिन आयेगा जब आज की दमन की दीवाले बह जायेंगी, और व्यक्ति से विश्व तक इसी तरह के प्रेम-वर्तुलो में समाज सगठित हो जायगा। ग्रामदान जीवन का यही चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि व्यक्ति अपनी जगह बना रहे, लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी पूँजी, उसकी शक्ति बड़े वर्तुल से जुड़ जाय, और ग्रामसभा के रूप में गाँव एक प्रेम वर्तुल बन जाय। एक बार गाँव बन गया तो उसके बाद बड़े वर्तुलो का बनाना सहज होगा।

विनोबा के शब्दों में "संसार की भावी व्यवस्था में दो ही चीजें हमारे समक्ष रहेंगी ग्राम और विश्व। सुविधा के लिए दुनिया के नक्शों पर विभिन्न देशों के नाम चाहे रहेंगे, परन्तु विश्व और ग्राम के बीच अन्य किसी तन्त्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। जीवन के भौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण सत्ता गाँव में रहेगी। गाँव में अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं करने की शक्ति होगी। सम्पूर्ण जगत् के नैतिक विकास और प्रगति की सत्ता विश्व-केन्द्र के हाथों में होगी। राज्य अथवा जिले केवल ग्राम-समाज के प्रतिनिधि रहेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार ग्राम होगा और उसके केन्द्र में विश्व-सत्ता होगी। मानव-समाज का सगठन छोटी-छोटी ग्राम-सभाओं के आधार पर होगा। इस ग्राम-समाज में हमें सच्चे भ्रातृभाव के और सच्चे सहयोग के दर्शन होंगे। निजी स्वामित्व के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।"

(७) ग्रामदान से विश्व-शान्ति—जीविका में शान्ति, जीवन में शान्ति। जनता के नित्य-जीवन में दमन का तन्त्र नहीं। आश्रमण की लिप्ता नहीं, लेकिन प्रहार होने पर शान्तिपूर्ण प्रतिकार, धार्मिक पूर्ण आत्मोत्सर्ग की पूरी तैयारी।

सहकार और प्रेम के ये वर्तुल शान्ति के वर्तुल होंगे—सघर्ष और सहार के नहीं। ये वर्तुल नित्य के जीवन में स्वावलम्बी होंगे, लेकिन परस्परावलम्बन से एक दूसरे को समृद्ध करते रहेंगे। किसी वर्तुल का किसी दूसरे वर्तुल के द्वारा दमन या शोषण नहीं होगा। हर इकाई दूसरी इकाई की पूरक होगी। ग्रामदान से अगर गाँव शान्ति और सहकार की पहली इकाई बन जाय, तो दूसरी इकाइयों का उसी आधार पर क्रमशः विकास होता जायगा, और विश्व-शान्ति के वर्तुल तैयार होते जायेंगे।

ख. तात्कालिक चित्र (इमीडिएट इमेज)

(१) एशिया-अफ्रीका के नये, स्वतन्त्र देशों की स्थिति-प्रचलित पद्धतियों की अपूर्णता। प्रतिरक्षा (डिफेंस), विकास (डेवलपमेण्ट) और लोकतन्त्र (डिमाक्रेसी) के लिए जनता को उसके नित्य के जीवन के स्तर पर संगठित करना—ग्रामदान उस दिशा में सबल कदम और ग्राम-सभा समर्थ माध्यम।

हम देख रहे हैं कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के सदियों के शोषण से जर्जरित देश अपना विकास करना चाहते हैं, और शीघ्र-से-शीघ्र अति विकसित पश्चिमी देशों की बराबरी में आ जाना चाहते हैं। विकास के लिए इन तमाम देशों को पश्चिमी राष्ट्रों की ओर ताकना पड़ रहा है। उनकी पूंजी के सहारे ही इनके विकास की योजनाएँ चल रही हैं। सुरक्षा के सवाल पर अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने में इन देशों की अपनी लगभग आधी—कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा—पूंजी और शक्ति लगानी पड़ रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इनके विकास की योजना की गति इतनी धीमी है—गलत दिशा का सवाल अलग है—कि उसके कारण आन्तरिक अशान्ति एक स्थायी समस्या हो गयी है। विकास की कौन कहे, जनता की नित्य की आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो रही हैं, और वह अघोर होकर मुक्ति के लिए नेताओं को छोड़कर सेना की ओर देखने लगी है। एक

के बाद दूसरे देश में तानाशाही का कायम होना नेताशाही और नौकरशाही की विफलता का परिणाम है ।

शस्त्र और सैन्यनिष्ठ प्रतिरक्षा, पूंजी-निष्ठ विनाश तथा दलनिष्ठ लोकतन्त्र से नये देशों की समस्याएँ हल नहीं हो पा रही हैं । हो भी नहीं सकती, क्योंकि अविकसित देशों के पास न अपनी पूंजी है, न अपने शस्त्र । लोकतन्त्र के नाम पर चलनेवाली दलों की राजनीति उन्हें शक्तिशाली बनाने की जगह उनकी एवता और शक्ति को दिनोदिन खण्डित करती जा रही है । इसलिए इन समस्याओं के हल के लिए तो जनता को उसके नित्य के जीवन-स्तर पर ही सगठित करना होगा । जनता की ही शक्ति समस्याओं का मुकाबिला कर सकती है ।

ग्रामदान उस दिशा में एक सबल कदम है । जब कोई गाँव ग्रामदान की घोषणा करता है, तो उस गाँव के लोग आज जहाँ हैं, वहाँ पड़े रहने की जगह एक नयी दिशा की ओर मुड़ते और आगे कदम बढ़ाते हैं । भूमि की व्यक्तिगत मालिकी का विसर्जन और ग्रामीकरण गाँव को एक सगठित इकाई बनाने के लिए बुनियादी आधार प्रस्तुत करता है । सब बालिगों को मिलाकर ग्रामसभा बनती है, जिसमें समूह की शक्ति सगठित होती है । इस क्रम में पूरे राष्ट्र को एक करने की सम्भावना छिपी हुई है । स्पष्ट है कि यदि कोई देश आपसी भेदभाव की दीवारें ढहाकर सगठित हो जाय, तो वह सगठित शक्ति ही वास्तविक प्रतिरक्षा की गारण्टी हो सकती है । इसी तरह विशाल जनता की श्रम शक्ति विकास की सबसे बड़ी पूंजी है, और उसकी एकता लोकतन्त्र का सबसे मजबूत आधार ।

(२) स्वराज्य के बाद अपने देश में बल्याण की शासन-नीति, विरोधवाद की राजनीति, और राहत की सेवानीति का भरपूर विकास । समाज की समस्याएँ हल करने में तीनों विफल—तो अब क्या ? एक जन-आन्दोलन की आवश्यकता—ग्रामदान से उसकी पूर्ति । विरोध और सघर्ष

से 'सर्व' का नाश—यगं-सघर्षं, जाति-सघर्षं, भाषा और सम्प्रदाय-सघर्षं आदि । समन्वय की श्रान्ति से ही 'सर्व' का उदय ।

स्वराज्य के बाद अपने देश ने कल्याणवारी लोकतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें आगे चलकर समाजवाद का नारा भी जुड़ गया । अब हमारा देश लगातार लोकतान्त्रिक समाजवाद का उद्घोष करता जा रहा है । लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ? हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ अब तक हमें कहीं ले गयी, और आगे कहीं ले जानेवाली हैं ?

इन वर्षों में देश में 'लोक' की कोई ताकत नहीं बन पायी है । 'लोक' का 'तन्त्र' पर नियन्त्रण हो, यह तो दूर का सपना है । वस्तुस्थिति तो यह है कि 'लोक' पगु हो गया है । जनता दिनादिन अमहाय और अधिकाधिक राज्याश्रित होती चली जा रही है । विकास और लोक-कल्याण के नाम पर जो कुछ भी किया गया है, उससे न तो जनजीवन की मूल आवश्यकताएँ ही पूरी की जा सकी हैं, न विपमता ही घटी है, बल्कि विकास-योजनाओं के परिणाम से तो विपमता की खाई और भी चौड़ी हुई है । सरकार द्वारा केन्द्रित और भारी उद्योगों को ही अधिकाधिक प्रोत्साहन दिये जाने से देश की सम्पत्ति कुछ थोड़े से सम्पत्तिवान लोगों के हाथों में केन्द्रित हुई है या राज्य के नियन्त्रण में गयी है । और, जिस समाजवाद का नारा हम वर्षों से लगा रहे हैं, उसका समाज निरन्तर दरिद्र होता चला गया है, जिसका प्रमुख कारण है कि आम जनता की शक्ति को संगठित करने, उनके बिखरे हुए जीवन को जोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं हुआ । लोक-कल्याण लोक की शक्ति के सहयोग के बिना कैसे सम्भव हो सकता था ? और लोक-शक्ति का सहयोग तो तब न प्राप्त होता, जब 'लोक' के जीवन का कोई सहकारी आधार बनता, उसकी एक दूसरे को तोड़नेवाली प्रवृत्ति समाप्त होती और लोग एक दूसरे से जुड़ते ।

कल्याण की शासन-नीति विफल हुई, क्योंकि इस कल्याण की प्रक्रिया

और पद्धति में जिस लोक वा कल्याण करना था, वही पगु होता गया । लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सकट की परिस्थिति पैदा हुई विरोधवादी राजनीति के वारण ।

देश के राजनीतिक दलों की कुल शक्ति दो कामों के लिए सीमित है—(१) चुनाव लड़ना, और (२) चुनाव में अधिक-से-अधिक मत प्राप्त करने के लिए जनता के क्षोभ को उभाड़ना और उसका अपने पक्ष के लिए समर्थन प्राप्त करने में इस्तेमाल करना । जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता आदि की दुहाई देकर गुटबन्दी करना और इस प्रकार जनजीवन के टुकड़े-टुकड़े करके फिर नित्य नये लुभावने आश्वासन देना कि हमारे दल की सरकार होगी तो जनता के लिए यह करेगी, वह करेगी । राजनीतिक दलों की सत्ताकांक्षा के कारण ही आज देश में एक के बाद दूसरे उपद्रवों और घड़यंत्रों का जो दुश्चक्र चल रहा है, उसने गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी है । राजनीति के नाम पर देश के नेताओं और बुद्धिमान लोगों की कुल बुद्धि देश की एकता को खण्डित करने में ही लगी हुई है । देश गौण हो गया है, दल मुख्य हो गया है, इसीलिए देश दलों के दलदल में बुरी तरह फँस गया है ।

सत्ता और राजनीति के विरोधवाद से अलग देश में ऐसे लोग भी हैं, जो सेवा और राहत का काम कर रहे हैं । लेकिन एक तो जन-जीवन को क्षीण करनेवाली प्रवृत्तियाँ इतनी सशक्त और तीव्रगतिवाली हैं कि सेवा और राहत के काम से उस स्थिति में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरे, कल्याणकारी राज्य के नारे ने जनजीवन को इतना अधिक पगु बना दिया है, राजनीति के विरोधवाद ने उसे इतना अधिक खण्डित कर दिया है कि उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता । यही कारण है कि सेवा और राहत की प्रवृत्तियों को भी लोकशक्ति वा आधार नहीं मिल रहा है, और वे प्रवृत्तियाँ भी राज्याश्रित ही होती जा रही हैं । इसीलिए आज सवाल लोक की सेवा का नहीं है, सवाल है लोक की मुक्ति का—इस नेताशाही, नीवरशाही और विरोधवादी राजनीति से मुक्ति

का । इसलिए आवश्यकता है एक सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति की । सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति के लिए समाज के आज के ढाँचे को बदलना होगा । यह तभी सम्भव होगा जब एक व्यापक जनआन्दोलन हो । ग्रामदान आन्दोलन उसी सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति की बुनियाद है— एक व्यापक जनआन्दोलन की शुरुआत है ।

ध्यान देने की बात है कि अगर सम्पूर्ण और समग्र क्रान्ति की आवश्यकता है, तो वह वर्ग-सघर्ष, जाति-सघर्ष, भाषा और सम्प्रदायों के सघर्ष से सम्भव नहीं है । विज्ञान की शक्ति ने आज हमें इस जगह पहुँचा दिया है कि वर्गों के सघर्ष से 'सर्व' का नाश होगा, इसलिए अब हम सघर्ष को समाप्त करें और समन्वय की शक्ति विकसित करें । समन्वय की क्रान्ति से ही 'सर्व' का उदय होगा । समन्वय किनका ? मालिक की बुद्धि, महाजन की पूंजी और मजदूर के श्रम की शक्तियों का ।

वर्गों की हितसाधना के लिए आयोजित सघर्ष वास्तव में हितों की टक्कर मात्र होती है । इसीलिए अब विरोधमूलक दृष्टिकोण बदलना होगा । ग्रामदान से वह नया दृष्टिकोण बनता है जिससे गाँव के लोगों की रचनात्मक वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, परस्पर को बाटनेवाली प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ और मनोवृत्तियाँ समाप्त होती हैं । इसीलिए पूंजीवाद और साम्यवाद से भिन्न यह एक तीसरा मार्ग है—नयी समाज-रचना का । गुटों के पङ्क्तियों और दलों के विरोधवाद से अलग आज की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के विरुद्ध जगे हुए समुदाय के विद्रोह की यह नयी प्रक्रिया है ग्रामदान ।

(३) अलग-अलग परिवार जीवन की लड़ाई में हार रहे हैं—न पूंजी, न बुद्धि, न शक्ति—सामूहिक पुरुषार्थ के बिना अस्तित्व असम्भव । ग्रामदान से यह सम्भव ।

आज की परिस्थिति में अलग-अलग परिवार जीवन-सघर्ष में पराजित हो रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान

के लिए किसी एक परिवार के पास न तो पर्याप्त पूंजी है, न बुद्धि है, और न श्रम की शक्ति है। इसलिए अब अकेले-अकेले अपने अस्तित्व को कायम रखना असम्भव हो गया है। इस युग की समस्याओं के समाधान का एक ही मार्ग है कि बुद्धिवाले, पूंजीवाले, श्रमवाले एक साथ जुड़ जायें, उनकी सहकारी शक्ति बनें।

ग्रामदान से जो सामूहिक चेतना पैदा होती है, ग्रामभावना जगती है, उसके आधार पर सहकार की शक्ति संगठित होगी। यह नयी शक्ति ही वर्तमान परिस्थिति को बदलेगी, और नयी रचना की बुनियाद डालेगी।

(४) राष्ट्र की भावनात्मक एकता का प्रश्न—
ग्रामदान से एकता का सुदृढ़ आधार—वर्ग-निष्ठा, जाति-निष्ठा, धर्म-निष्ठा, भाषा-निष्ठा आदि संकुचित निष्ठाओं के स्थान पर ग्राम-निष्ठा, समाज-निष्ठा, आदि।

आज की परिस्थिति में जीविका के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्दर हैं। उसके कारण आपस में प्रतिस्पर्धा है, और इसी आधार पर विकसित व्यक्ति-केन्द्रित जीवन मूल्य हैं और हितों की सर्बीर्ण मनोवृत्ति है। इसी बुनियाद पर जाति निष्ठा, वर्ग निष्ठा, क्षेत्र निष्ठा और सम्प्रदाय-निष्ठा बढी है, और राष्ट्र-निष्ठा घटी है। राष्ट्र की भावनात्मक एकता का सवाल जटिल हो गया है, विराधवादी राजनीति उसे और भी जटिल बना रही है। विदेशी आक्रमणों के समय तो एकता कुछ समय तक दिखाई देती है, आक्रमण-काल समाप्त होते ही पुराने खण्डवादी नारे पुनः देश में गूँजने लगते हैं, क्योंकि जीवन की जो बुनियाद है उसमें समुदाय के प्रति निष्ठा बही है ही नहीं।

ग्रामदान से यह स्थिति समाप्त होती है, और एक नयी ग्रामनिष्ठा तथा समाजनिष्ठा पैदा होती है। बीघा में बट्टा निकालना, ग्रामकोष बनाना, सर्वसम्मति से सब के हित के लिए सर्वजन की ग्रामसभा संगठित करना, आदि सबल सामाजिक प्रवृत्तियों की बुनियाद पर राष्ट्र की भावना-

त्मक एकता के लिए अनिवार्य जाति, वर्ग, क्षेत्र और सम्प्रदाय-निरपेक्ष वृत्ति का निर्माण होता है। गाँव एक होगा तो सफुचित भावनाओं को उभाड़नेवाली राजनीतिक गुटबन्दी के गाँव में घुसने के अवसर ही समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि तब किसी भी प्रकार के चुनाव में राजनीतिक दलों और गुटों से ग्रामदानी गाँव के लोग साफ-साफ कह सकेंगे—‘आप सब एक साथ अपना-अपना विचार हमारे सामने रख दीजिए। आपकी बातें सुनकर हम आपस में विचार करेंगे और जिसे योग्य समझेंगे उसे अपना मत देंगे। वृष्या अब दुबारा आप लोग चुनाव की बात लेकर हमारे गाँव में न घुसें।’

ग्राम एकता की इस ठोस बुनियाद पर ही सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो सकेगा।

(५) विकास के लिए पूँजी का प्रश्न—ग्राम-स्तर पर कोष का सग्रह और धर्म का संयोजन—गाँव की योजना, गाँव की शक्ति, गाँव का हित।

गाँव जब एक स्वतन्त्र इकाई बन जाता है, और अपने गाँव के विकास का संयोजन गाँव में बसनेवाले सब लोगों के हित की दृष्टि से करता है तो उसके सामने प्रारम्भिक पूँजी का प्रश्न खड़ा होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए गाँव के स्तर पर, उत्पादन का चालीसवाँ भाग और नौकरी-व्यापार आदि से जो कमाई होती है उसका तीसवाँ भाग निकालकर ग्रामकोष का सग्रह करना होता है। इसके साथ ही गाँव की कुल शक्ति, गाँव के हित में कैसे लगे, धर्म, बुद्धि और पूँजी के बीच कैसे सहकार पैदा हो, गाँव इसके लिए योजना बनाता है। और, इस प्रकार पूँजी का सवाल मुख्यतः गाँव की शक्ति से हल हो इसकी शुरुआत होती है। यह पूँजी कर्ज, खेती, उद्योग, व्यापार, सहायता, सबके काम आयेंगी, और गाँव में शोषण-मुक्ति और आत्म निर्भरता की अर्थनीति का शुभारम्भ होगा।

(६) शहर का गाँव पर विविध आक्रमण—शहर की राजनीति, शहर की अर्थनीति, शहर की शिक्षानीति—गाँव

की बुद्धि, पूंजी, धन सब शहर की ओर—ग्रामदान, खादी, शान्तिसेना से गाँव की रक्षा । लोकनिष्ठ राजनीति, लोकनिष्ठ अर्थनीति, लोकनिष्ठ शिक्षानीति की नयी दिशा ।

शहर और गाँव—आज दोनों की बुनियादी रचना गलत है । इसका परिणाम यह है कि गाँव की कृषि-औद्योगिक-सहकारी जीवन-पद्धति समाप्त हो गयी है । आज की अति केन्द्रित, उद्योगवादी, शहरी सभ्यता गाँव के जीवन पर हावी हो गयी है, और गाँव के जीवन में जो मूल्य थे वे तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं ।

एक दुश्चक्र चल रहा है । विरोधवादी राजनीति गाँव की बची-पुची एकता को खण्डित कर रही है । शहर के बड़े-बड़े उद्योग गाँव के छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को तो समाप्त कर ही चुके हैं, उससे भी आगे वे गाँव के आर्थिक जीवन का पूरी तरह अपने नियन्त्रण में लेते जा रहे हैं । यही क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गाँवों का अस्तित्व मिट जायगा, वे भारी उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति (सप्लाय) करनेवाली इकाइयाँ मात्र रह जायेंगी ।

जो शिक्षा आज चल रही है उससे नौकरी करने के अलावा छात्रों में कोई क्षमता पैदा होती नहीं, और नौकरी शहरों में है । इस प्रकार राजनीति गाँव को तोड़ रही है, अर्थनीति गाँव को चूस रही है, जिसके परिणामस्वरूप गाँव के श्रमिक और पढ़े-लिखे लोग शहर की ओर काम की तलाश में बेतहाशा दौड़ रहे हैं । ऐसी रचना बन गयी है कि पूंजी शहर में, श्रमिक शहर में, पढ़ा-लिखा मनुष्य शहर में—शहर, जिसकी रचना में मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्यता के आधार पर कोई सम्बन्ध नहीं होते ।

शहर की आज की रचना में मनुष्य के जीवन में सहकारी जीवन पद्धति का विकास नहीं हो सकता । यह प्रत्यक्ष देख रहा है कि पूंजीवाद और यन्त्रवाद मनुष्य को एक उपकरण मात्र बना रहा है, उससे अधिक कुछ नहीं ।

गाँव की जो कुछ भी जीवन-पद्धति थी जिसमें सहकार का कुछ अंश था, वह समाप्त है। और आज की जो समस्याएँ हैं उन्हें केवल पूँजी या यन्त्रों की शक्ति से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए आज फिर से कृषि-उद्योग के आधार पर सहकारी समाज-रचना की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य का मनुष्य के नाते सम्बन्ध स्थापित हो। वह अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा के साथ अपने अन्दर मनुष्यता का विकास करे, और केवल उपकरण मात्र बनकर न रह जाय।

इस नयी रचना के लिए वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति अनिवार्य है। ग्रामदान, खेती-खादी मूलक ग्रामीण अर्थ-रचना और शान्ति-सेना इस मुक्ति के माध्यम हैं। ग्रामदान से दल-निष्ठ राजनीति की जगह लोक-निष्ठ राजनीति, वर्ग-निष्ठ अर्थनीति की जगह लोक-निष्ठ अर्थनीति, और विशिष्ट समुदाय-निष्ठ सस्कृति की जगह लोक-निष्ठ सस्कृति का विकास होगा। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रचना का केन्द्र 'लोक' होगा।

(७) यू० एस० एस० आर० (युनाइटेड स्टेट्स आब सर्वोदय रिपब्लिक्स) — ग्राम समा. बुनियादी, स्वायत्त, आत्म-निर्भर इकाई — प्रखण्ड-सभा, जिलासभा, राज्यसभा, राष्ट्र-सभा, गाँव से लेकर बिल्ली तक नयी व्यवस्था — सब दलमुक्त।

ग्रामदान से बुनियादी लोकतन्त्र की स्थापना होती है। सर्व की शक्ति, सर्व के हित के लिए सर्व की सम्मति से, ग्रामसभा के रूप में संगठित होती है। इस प्रकार ग्रामसभा आत्म-निर्भर, स्वशासित इकाई बनती है। ज्यो-ज्यो ऐसी इकाइयों की संख्या, जो तेजी से बढ़ रही हैं, ग्रामदान से भी आगे, प्रखण्डदान के रूप में संगठित होती जायेंगी, त्यों-त्यों गांधीजी का सपना साकार होता जायगा कि लोकतन्त्र में मुख्य शक्ति 'लोक' की होगी और सामुद्रिक वर्तुलों की तरह उसका विकास होगा। ग्राम-सभाओं से प्रखण्डसभा, प्रखण्डसभाओं से जिलासभा, जिलासभाओं से राज्यसभा,

और राज्यसभाओं से राष्ट्रसभा—इस तरह गाँव से लेकर दिल्ली तक एक नयी दलमुक्त, लोकनिष्ठ व्यवस्था कायम होगी, और लोचतन्त्र का आज का जो उल्टा स्वरूप है, वह बिलकुल बदल जायगा ।

(८) सरकार का दमन, बाजार का शोषण—इनसे बचें कैसे ? सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की चुनौती और प्रचलित प्रशासकीय और राजनैतिक तन्त्र की अक्षमता—धृत्यो और जिम्मेदारियों का ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकरण आवश्यक—ग्राम-सभा एक सबल, सर्वनिष्ठ माध्यम ।

सरकारी नौकरशाही का दुश्चक्र लोगों के जीवन को छिन्न भिन्न और जर्जर कर रहा है । जन-जीवन के हर क्षेत्र में राज्य का प्रवेश है और जनता को हर बंदम पर—भ्रष्टाचार तथा बेबसी का शिकार होना पड़ रहा है । यह लोकतान्त्रिक देश सबल और स्वतन्त्र नागरिकों का न रहकर जैसे मुहताज तथा मजबूर लोगों का हो गया हो । सरकारी दमन की तरह ही बाजार का शोषण अपनी घरम सीमा पर है । कच्चा माल उपजाने-वाले किसान, मिहनत करनेवाले श्रमिक तथा कलमजीवी, सब 'मालिकों' के बाजार में बेभाव बिक रहे हैं । इस परिस्थिति से मुक्ति कैसे हो ? छटपटाहट है, लेकिन कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है ।

विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन वह विज्ञान मनुष्य की क्षमता बढ़ाने और रुचिहीन उबानेवाले श्रम को दिलचस्प और आकर्षक बनाने में नहीं लगा है, बल्कि वह लाखों, करोड़ों हाथों को बेकार बनाने, शोषण की क्षमता बढ़ाने और सम्पत्तियों के आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध करने तक ही सीमित रह गया है । विज्ञान के विकास की इस दिशा के कारण जीविका के साधन थोड़े से मालिकों के नियन्त्रण में आ गये हैं । बाजार के नित्य नये आकर्षण जीवन के मूल्यों को तोड़ते जा रहे हैं ।

जीविका के आधार बाजार के नियन्त्रण में हैं, और जीवन की पद्धति

बाजारू विज्ञापनों के संचालन में है, इसीलिए समाज का आर्थिक ही नहीं पूरा सांस्कृतिक जीवन ही एक ऐसी चुनौती के सामने है, कि जहाँ से कोई नया मोड़ नहीं आया तो सामाजिक और वैयक्तिक जीवन का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जायगा ।

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उपद्रव, पड़्यन्त्र आदि के रूप में जीवन-मूल्यों का जो छिछलापन और रिक्तता प्रकट हो रही है, असामाजिक और अमानवीय मूल्यों का तीव्र गति से जो विकास हो रहा है, उसे हल करने, यहाँ तक कि कभी-कभी तो सामान्य शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने में भी प्रशासकीय अक्षमता प्रकट हो रही है । ऐसा होना वर्तमान राजनैतिक तन्त्र के कारण सहज-सा हो गया है ।

देश का इतना बड़ा केन्द्रीय और राज्यस्तरीय प्रशासन-तन्त्र समाज की नित्य प्रति की समस्याओं का समाधान करने में असफल सिद्ध हो रहा है । राजनैतिक दलों को आपसी द्वन्द्व-युद्ध और सत्ता-प्राप्ति के लिए शतरज की मुहर बिठाने से फुरसत नहीं है । ऐसी स्थिति में विविध समस्याओं की चुनौती का जवाब कौन दे ? एक उपाय है कि कृत्यों और जिम्मेदारियों का ग्राम-स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो । लेकिन अगर वह विकेन्द्रीकरण पंचायतीराज की तरह एक केन्द्रित राज्य-शक्ति की छोटी इकाई के रूप में होगा तो समस्या का कुछ भी हल नहीं होगा, बल्कि उसके और उलझने की सम्भावना है, क्योंकि वह गाँव के बहुमत-प्राप्त कुछ लोगों का ऊपर से दिये गये अधिकारों के आधार पर बना सगठन है । उसकी रचना और पद्धति केन्द्रीकरण की उसी दिशा का एक अंश है जिसमें चलकर सरकार समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो रही है ।

कृत्यों और जिम्मेदारियों का वास्तविक विकेन्द्रीकरण तो ग्रामदान में ही होता है । ग्रामदान में गाँव के लोग सबको मिलाकर सबकी राय से जो ग्रामसभा बनाते हैं, वह ग्रामसभा विकास और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेती है ।

(६) लोकतन्त्र और समाजवाद का शुभारम्भ—
ग्रामदान पहला संगठित फंदम—साझेदारी के जीवन (लाइफ
आव शेयरिंग) का प्रारम्भिक अभ्यास ।

ग्रामदान से दो बातों की शुरुआत गाँव में प्रत्यक्षत होती है—

(१) गाँव के लोगों की चेतना जगती है और गाँव-समाज के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी का एहसास होता है । उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए ग्रामसभा के रूप में गाँव-समाज की शक्ति संगठित होती है। यह शक्ति गाँव के किन्हीं खास और कुछ लोगों की नहीं, बल्कि आम और सब लोगों की होती है । इसे हम लोक-शक्ति कह सकते हैं । यह लोकशक्ति सर्व के उदय के लिए सक्रिय होती है, अपनी क्षमता और पुरुषार्थ के भरोसे इसके लिए अपनी व्यवस्था खड़ी करती है । 'लोक' स्वयं अपने 'तन्त्र' को चलाये, इससे बढ़कर दूसरा लोकतन्त्र क्या होगा ? आज का लोकतन्त्र तो केवल प्रतिनिधि-तन्त्र है ।

(२) ग्रामदान में गाँव के लोगों की जीविका का जो प्रमुख आधार है भूमि, उसकी व्यक्तिगत मिल्कियत समाप्त होती है, पूरा गाँव-समाज गाँव की कुल भूमि का मालिक बनता है; भूमि का कुछ भाग उन लोगों को प्राप्त होता है जो भूमिहीन हैं, साथ ही हर व्यक्ति अपनी कमाई का एक अंश गाँव-समाज के लिए देता है । इस तरह भूमि पर निजी स्वामित्व की जगह ग्राम-स्वामित्व होता है और पूंजी निजी की जगह सामूहिक होती है । गाँव की सामूहिक इच्छाशक्ति और सामूहिक पूंजी से गाँव की योजना चलती है ।

इस प्रकार सबसे उदय की लोकशक्ति प्रकट होती है जो लोकतन्त्र की बुनियाद है, जीविका के साधन पर समाज वा स्वामित्व स्थापित होता है, जो समाजवाद की बुनियाद है । ग्रामदान में जीवन की साझेदारी का यह जो अभ्यास शुरू होता है वह लोकतान्त्रिक समाजवाद का शुभारम्भ है ।

(१०) 'बहु' के स्थान पर सर्व की राजनीति, सर्व की अर्थनीति, सर्व की शिक्षानीति, सर्व की धर्मनीति, सर्व की समाजनीति—सर्व की सम्मति और सर्व की शक्ति से सर्व का हित, ऐसी जीवन-नीति ।

आज दुनिया में सामन्तवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रगतिशील ढाँचा अधिकांश देशों में अपनाया गया है । लेकिन वह प्रगतिशील ढाँचा भी विशिष्ट से 'बहु' तक आकर सीमित हो गया है । ग्रामदान उसे 'सर्व' तक पहुँचाने की प्रक्रिया है । 'सर्व' की सम्मति के आधार पर संगठित ग्रामसभा से 'बहु' की नहीं 'सर्व' की राजनीति, ग्रामकोष से 'साहूकारी' की अर्थनीति की जगह 'सर्व' की अर्थनीति शुरू होती है । गाँव के जीवन से धीरे-धीरे सरकार और साहूकार की आवश्यकताएँ कम होती जाती हैं, गाँव ग्रामसभा के माध्यम से खुद क्रियाशील होता है । सर्व की सम्मति और सर्व की शक्ति से सर्व के हित की जीवन-नीति का क्रमशः विकास होता है ।

सर्व के उदय की इस प्रक्रिया में सबकी प्रतिभाओं, क्षमताओं और सबके अन्दर जीवन-मूल्यों का विकास करने के लिए सबकी शक्ति एक होकर सक्रिय होती है । एक नये समाज का निर्माण शुरू होता है ।

(११) स्त्री और मजदूर की मुक्ति—स्वतन्त्र नागरिकता ।

विभिन्न धर्मों के प्रति आदर भाव—समानता—सम्प्रदाय-निरपेक्ष सौहार्द—अस्पृश्यता ।

ग्रामदान से सर्व के विकास की जो परिस्थिति बनती है, उसमें सबको जीने की समान भूमिका हासिल होती है । ग्रामसभा में स्त्री, और हरिजन मजदूर भी स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत रखते हैं । उनकी राय की उपेक्षा वरके कोई निर्णय ग्रामसभा नहीं लेगी । सर्वैधानिक नागरिकता—वोट देने का अधिकार—के बावजूद आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्त्री का कोई स्वतन्त्र स्थान समाज में नहीं है,

मजदूर आर्थिक विपन्नता के कारण गुलाम है। ग्रामदान से इन दोनों दलित समुदायों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की गुलामी से मुक्ति का रास्ता खुलता है।

'सर्व' की जीवन-नीति में, जिसकी शुरुआत 'सर्व' की समान साझेदारी (पार्टिसिपेशन) से होती है, सब धर्मों के प्रति आदर-भाव तथा सम्प्रदाय और जाति-निरपेक्ष भाईचारे का सम्बन्ध सहज रूप से विकसित होगा।

(१२) जनता में व्यापक 'एपथी', 'डिनायल', 'इनशिया'—उसे सक्रिय बनाने का उपाय ग्रामदान।

स्वराज्य के बाद नये भारत से आम लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, सदियों से दबी जिन आकांक्षाओं का उभाड़ हुआ था, उनको लेकर घोर निराशा ही हाथ लगी है। राजनीतिक दलों के आश्वासनों और थोथे नारों ने उसमें और वृद्धि की है, दलों की गुटपरस्ती ने लोक-जीवन की अवशेष एबता को समाप्त कर दिया है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, और जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति अत्यन्त कठिन हो गयी है। स्वराज्य-प्राप्ति के अभियान में जो जनचेतना जागृत हुई थी, वह आज मर-सी गयी है। यही कारण है कि आज जनता में व्यापक उदासीनता (एपथी), अप्रवृत्ति (डिनायल) और जड़ता (इनशिया) व्याप्त है। उदासीनता के कारण लोग किसी चीज में रुचि ही नहीं लेते, जैसे उनकी मतलब ही नहीं है। और, अप्रवृत्ति तो इतनी गहरी है कि बड़ी-से-बड़ी समस्या हो, उसे समस्या हम मानते ही नहीं। जड़ता जीवन में व्याप्त हो गयी है—न सोचना, न करना। मन में कोसते रहेंगे लेकिन कुछ करने की यात सोचेंगे। हम इन सब रोगों के शिकार हो गये हैं।

देश की विरोधवादी राजनीति समय-समय पर उनके असन्तोष को जगाकर, क्षोभ को उभाड़कर उपद्रव कराती है, और लोब-कल्याण के नाम पर जनता के सामने लुभावने चित्र पेश करती है। दोनों का लक्ष्य

एक है सत्ता-प्राप्ति के लिए लोकप्रियता हासिल करने का, ताकि चुनाव में बहुमत उनका समर्थन करे। गाँव को, समाज को उसकी स्वतन्त्र शक्ति के आधार पर खड़ा करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। सबका एक ही नारा है 'हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगे।' समाजवादियों का 'समाज' लोकतन्त्रवालों का 'लोक', सब कुछ सत्ता में समा गया है। समाज या लोक की शक्ति इस परिस्थिति में क्षीण हो जाय तो आश्चर्य क्या है ?

ग्रामदान ही आज एकमात्र कार्यक्रम है लोकतन्त्र के 'लोक' और समाजवाद के समाज को सचेत, सक्रिय और स्वचालित करने का; उनमें आशा और आत्मविश्वास भरने का। ग्रामदान में वादे नहीं हैं, तुरन्त उठकर कुछ करने की प्रेरणा है।

२. चित्र (इमेज) कैसे प्रस्तुत करें ?

क. साहित्य द्वारा—

विचार और भावना की अभिव्यक्ति का सबसे माध्यम तो साहित्य है ही, व्यापक स्तर पर चेतना को जगाने और भावनाओं को सक्रिय बनाने के लिए भी साहित्य एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। लोकशिक्षण के लिए लोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थायी और प्रचार-साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए।

(१) स्थायी साहित्य—

विचार-प्रधान ग्रन्थ। गांधी विनोबा के विचारों को भाष्य-टीका सहित प्रस्तुत करना होगा, उनको ऐतिहासिक सन्दर्भ में बिठाना होगा, वर्तमान की अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं से जोड़ना होगा। वैज्ञानिक और सयुक्तिक आधार पर इस युग की चुनौती का उत्तर ग्रामदान है, इसे प्रस्तुत करना होगा।

(२) प्रचार साहित्य—

आम जनता के लिए फोल्डर्स, नोटिस, पोस्टर, चार्ट्स,

छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ आदि तैयार करनी होंगी । स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, गाँव के आर्थिक शोषण और रुढ़िगत उत्पीड़न तथा अन्य दैनन्दिन समस्याओं का विश्लेषण करने लोच की चेतना जगानेवाली सुलभ, सरल भाषा-शैली में साहित्य-रचना करनी होगी, ग्रामदान को गमाघान के रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

विभिन्न स्तर के लोगों के लिए 'ग्रामदान क्या', 'ग्रामदान क्यों', 'ग्रामदान कैसे', 'ग्रामदान से ग्राम-स्वराज्य' इत्यादि विषयों पर छोड़े में प्रामाणिक जानकारी देनेवाली पुस्तिकाएँ तैयार करनी होंगी, ग्रामदान की गाँवों के लोग समस्याओं को स्वयं मिल-जुलकर हल कर सकें, इसके लिए उनको मदद देनेवाली, पुस्तिकाएँ जैसे—'ग्रामराभा का सगठन कैसे करे ?' बीघा-बट्टा कैसे निवालें ?' 'ग्रामशोष कैसे झकट्टा हो', 'झगड़े आदि गाँव में ही कैसे निपटायें जायें', 'गाँव के विकास की योजना कैसे बनायें', 'बेकारी निवारण कैसे ?' तैयार करनी होंगी । ग्रामदान के पहले की स्थिति, ग्रामदान के बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके गाँव की जानकारी के लिए छोटी पुस्तिकाएँ तैयार करनी होंगी ।

(३) कार्यकर्ताओं के लिए—

'सर्वोदय विचार' पर चर्चा के कुछ मुख्य-मुख्य मुद्दे भी तैयार करने होंगे, जैसे—'सर्वोदय का राजनीतिक दृष्टिकोण', 'विज्ञान, यंत्रीकरण और सर्वोदय', 'उद्योगों का केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण क्या, क्यों ?' 'ग्रामदान से लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना कैसे ?' 'ग्रामदान सरकार की शक्ति से क्यों नहीं ?' 'ग्रामस्वराज्य और पंचायती राज', 'सर्पय बनाम सहकार', 'दान' क्यों, 'कानून' क्यों नहीं ?' 'तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं तथा घटनाओं के प्रति सर्वोदय का दृष्टिकोण क्या है ?' ग्रामदान का काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के लिए जिला या प्रान्त के सगठनों द्वारा समय समय पर इस दिशा के निर्देशक परिपत्र तैयार करने भेजे जायें ।

सर्व सेवा सघ-प्रकाशन से इस प्रकार की कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं—जो 'गाइड-बुक' का काम करेगी । जैसे—

(१) ग्रामदान	विनोबा
(२) चीन-भारत सीमा-सघर्ष	"
(३) कश्मीर के धारे में	"
(४) कुछ सामयिक प्रश्न	"
(५) चुनाव	"
(६) देश की समस्याएँ और ग्रामदान	जयप्रकाश नारायण
(७) ग्रामदान - शका और समाधान	धीरेन्द्र मजूमदार
(८) ग्रामदान-निर्देशिका	मनमोहन चौधरी
(९) ग्राम-स्वराज्य का त्रिविध कार्यक्रम	
(१०) गाँव-गाँव में अपना राज	
(११) ग्रामदान क्या है ?	
(१२) शान्ति-सेना क्या है ?	
(१३) गाँव की छादी	
(१४) गाँव का विद्रोह	राममूर्ति
(१५) तमिलनाडु के ग्रामदान	वसन्त ध्याग
(१६) आन्ध्र के ग्रामदान	"
(१७) बोरसपुट के ग्रामदान	"
(१८) मध्यप्रदेश का ग्रामदान - मोहशरी	"
(१९) सर्वोदय-ग्रामयित्री—१, २, ३	

जहाँ तक सम्भव हो, अपने सगठनों के अलावा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में और रेडियो से भी ग्रामदान के विचार का प्रकाशन और प्रसारण हो, लोगों को आन्दोलन की प्रगति की प्रामाणिक जानकारी मिले, ऐसी वांछित होती चाहिए ।

२२. सम्पर्क द्वारा—

प्रमुख व्यक्तियों के सन्तर्क, टोला-गोष्ठी, ग्रामगमा, क्षेत्र-सम्मेलन

आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों के पास स्पष्ट विचार पहुँचे, इसका प्रयास करना चाहिए । पदयात्रा से व्यापक प्रचार सम्भव होता है । सघन विचार प्रचार और शिक्षण के लिए सीमित क्षेत्रों में शिविर, परिसवाद, प्रदर्शनी, लोकमंच (संगीत, नाटक आदि) के आयोजन अत्यन्त उपयोगी होंगे । अपनी पत्र-पत्रिकाओं के पाठक तथा छादी प्रेमियों का इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने की कोशिश होनी चाहिए । सम्पर्क और विचार-प्रचार की दृष्टि से कुछ बातें विशेष ध्यान देने की हैं—

हम जिनके बीच विचार-शिक्षण का काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा संचार (कम्यूनिकेशन) सक्षम हो सके, इसने लिए आवश्यक है कि—

- १ किसी व्यक्ति या समूह ने सामने जो विचार जिसे व्यक्ति, पुस्तक या अन्य किसी स्रोत से पहुँचाया जाय, वह (स्रोत) उसकी नजर में प्रामाणिक और विश्वसनीय हो,
- २ एक बार में लोग जितना समझ सकें उतना ही कहा जाय, पूरी बात एक साथ कहने से पकड़ में नहीं आती,
- ३ एक बार कह देने से ही सन्तोष न माना जाय, बार-बार कहा जाय । विचार को प्रामाणिक बनाने के लिए सही, सिद्ध, प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किये जायें,
- ४ विचार को स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करने पर विचार के प्रति आकर्षण बढ़ता है,
- ५ इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिस प्रश्न से सम्बन्ध रखनेवाला विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रश्न पर लोगो का मन में पहले से क्या विचार है, ताकि हम अपना विचार उस सन्दर्भ में रख सकें । इससे सुननेवालों की रुचि बढ़ती है,
- ६ हरएक की अलग-अलग भूमिका होती है । कोई तर्क से प्रभावित होता है, कोई भावना से, कोई किसी अन्य पहलू से । व्यक्तिगत

सम्पर्क और चर्चा में, जिस व्यक्ति से चर्चा करनी है, पहले उसके मनोभावों को समझना चाहिए,

- ७ प्रयत्न रहे कि विचार मनुष्य के विवेक को छूए, उसकी सामाजिक चेतना को जगाये और उसको सही निर्णय की प्रेरणा दे, न कि हमारी कल्पना, विचार या प्रभाव उसके ऊपर छावी हो जाय ।

ग. तात्कालिक स्थानीय समस्याओं को माध्यम बनाकर—

बाढ़, आमजनी, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप के अवसरो पर सहानु-भूतिपूर्वक प्रकोपग्रस्त लोगों की सेवा, सामाजिक प्रक्षोभ—साम्प्रदायिक दंगे, तथा अन्य प्रकार के प्रदर्शनों आदि के अवसर पर शान्ति और सन्तुलन कायम करने की चेष्टा, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि की प्रतारणा और राजनीतिक दलों की गुटबन्दी, और जातीयता आदि को उभाड़नेवाले कार्यक्रमों के अवसर पर लोगों के अधिकाधिक निकट जाने और भैत्रीपूर्ण वातावरण बनाकर सामूहिक लोक-चेतना जगाने तथा सगठित बनने की बोधिश करनी चाहिए । इन तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं के समाधान में लगने पर लोगों की भावना हमारे अनुकूल होती है । ●

ग्रामदान : प्राप्ति (लोक-निर्णय) : २ :

१. ग्रामदान की शर्तें, और कुछ प्रश्न :

ग्रामदान की शर्तों को लेकर गाँव के लोग, खास तौर पर बड़े गाँवों के लोग, तरह-तरह के सवाल पूछते हैं । इसलिए जरूरी है कि हम ग्रामदान के विचार को अच्छी तरह समझें, लोगों के प्रश्नों का सही उत्तर दें, ताकि उनके मन के भय और शकाएँ दूर हो और उन्हें विश्वास हो जाय कि आज की दुःखपूर्ण स्थिति से मुक्ति का एक ही मार्ग है—ग्रामदान ।

ग्रामदान को लेकर कई सवाल उठते हैं । उनमें से कुछ ये हैं

(क) अगर गाँव दूसरी शर्तें मान ले तो क्या स्वामित्व-विसर्जन की शर्तें फिलहाल छोड़ी या हलकी नहीं की जा सकती ?

जाहिर है कि अगर स्वामित्व-विसर्जन की शर्तें शुरू में हलकी कर दी जाय तो 'ग्रामदान' की सख्या बहुत बढ़ जायगी, लेकिन सोचना यह चाहिए कि ऐसा करना क्रान्ति की दृष्टि से कहीं तक उचित होगा । स्वामित्व के प्रश्न को लेकर गाँववालों की शिक्षा स्वाभाविक है । आज के समाज को, जो सत्ता और सम्पत्ति को ही सब कुछ मानता है, देखकर भूमि का स्वामी सोचता है कि क्या स्वामित्व ग्रामसभा को देकर वह सुरक्षित रह सकेगा ? लेकिन आज स्थिति यह है कि भूमिहीनों को क्या कहा जाय, कुछ छोटे बड़े मालिकों को छोड़कर बाकी मालिक मालिकी रखते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं, पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि परिचित बुराई अपरिचित अच्छाई से अधिब अनुकूल मालूम होती है । गाँववालों के मन की यही गाँठ तो खोलनी है । इस गाँठ के खुलते ही आज के गाँव की जगह एव नये गाँव का

जन्म हो जाता है; पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति भाव बदल जाता है। हम सब जानते हैं, और जो लोग गाँवों में काम करते हैं वे दिन-रात देखते हैं, कि गाँव में रहनेवालों के मन में ग्राम-भावना नहीं है, इसलिए गाँव का कोई काम मिलकर नहीं हो पाता। मच तो यह है कि हरएक अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है, गाँव की फिर कितने पड़ी है? और, यह ग्राम-भावना मालिकी के रहते बननेवाली नहीं है। स्वामित्व के कारण गाँव में तरह-तरह की दीवालें खड़ी हो जाती हैं—मालिक-मजदूर के बीच, मजदूर-मजदूर के बीच, और स्वयं मालिक-मालिक के बीच। ये दीवालें दिलों को जुटने नहीं देती। हरएक का हृदय ईर्ष्या और प्रतिद्वन्द्विता की आग से जलता रहता है। गाँव में जो भी साधन है, जो भी पूँजी, बुद्धि और श्रम-शक्ति है, उम गवरा इस्तेमाल एव-दूररे को गिराने में होता है, न कि मिलकर गवतो उठाने में। निजी मालिकी से उत्पादन के साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता, और मालिकी शोषण और मुनाफाखोरी को जन्म देती है जो समाज की तबाही का कारण बनती है। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि स्वामित्व-विगर्जन हमारी शान्ति का प्राण है। कोई शत्रु माने या शत्रु, लेकिन स्वामित्व-विगर्जन की बात हम छोड़ नहीं सकते। अगर सम्पत्ति का स्पेण्ड मे विगर्जन न हुआ तो इस देश को क्यापन पैमाने पर मरगर की आग में जलने में कैसे बचाया जा सकेगा? इसलिए

अनुमति आवश्यक हो या उसे केवल सूचना दे दी जाय ?

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि जब तक खेती परिवार की है— न सहकारी है, न सामूहिक—तब तक परिवार को छूट होनी चाहिए कि कर्ज के लिए अगर वह अपने कब्जे की जमीन सरकार या सहकारी समिति (कोऑपरेटिव मोसाइटी) के हाथ विक्री करना या बन्धक रखना चाहे तो आजादी के साथ ऐसा कर सके, और ग्रामसभा को केवल सूचना दे दे । यह ठीक है कि परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुसार कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि सही काम के लिए कर्ज लिया जाय और उसे सही ढंग से खर्च किया जाय । ग्रामसभा के सिवाय यह कौन देखेगा कि सही कर्ज का सही इस्तेमाल हुआ ? ग्रामदान में शरीक होने-वाले परिवार गाँव में स्थित अपनी कुल जमीन की मालिकी ग्रामसभा को सौंपते हैं । जमीन के खाते परिवार-परिवार के नाम न रहकर एक हो जाते हैं—ग्रामदानी गाँव का एक खाता ग्रामसभा के नाम से । ग्रामसभा इकट्ठा सरकार को लगान देगी । ग्रामसभा परिवारों को जानेगी लेकिन सरकार केवल ग्रामसभा को जानेगी, रजिस्टर्ड सस्था होने के नाते उसीको कर्ज, सहायता आदि देगी । ग्रामसभा विकास की योजना बनायेगी, और योजना के अनुसार काम के लिए आवश्यक साधन आदि जुटायेगी । ऐसी हालत में यह उचित ही नहीं, जरूरी है कि जमीन को बेचने या बंधक रखने के लिए ग्रामसभा की अनुमति ली जाय । कर्ज का कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा, और कर्ज जरूरी होगा, तो ग्रामसभा अनुमति नहीं देगी, ऐसा मानने का क्या कारण है ? और अगर ग्रामदान के बाद गाँव की नयी व्यवस्था में ग्रामसभा का इतना स्थान भी नहीं होगा तो वह गाँव की सामूहिक शक्ति का आधार और विकास का माध्यम बनने-वनेगी ?

(ग) मजदूर को किसान बनाने से गाँव की उत्पादन-पद्धति पर क्या अंतर होगा ?

हम लोग कहते हैं कि ग्रामदान से भूमिहीन को भूमि मिलेगी और खादी-ग्रामोद्योग से धन्या मिलेगा, भले ही बीघा-बट्टा से तुरन्त इतनी भूमि न निकले कि हर भूमिहीन को मिल जाय । लेकिन मालिक आगे देखता है, और सोचता है कि अगर मजदूर को भूमि और धन्या मिल गया तो वह हाथ से निकल जायगा, और उसकी खेती के लिए सस्ता थम नहीं मिल सकेगा । आज की खेती हो ही रही है इस आधार पर कि मालिक ने मजदूर को बाँध रखा है—कर्ज देकर, जोतने के लिए कुछ थोड़ी भूमि देकर, समय-समय पर कुछ मदद देकर, आदि । वह नहीं चाहता कि मजदूर की हैसियत बदले ।

कुछ थोड़े से बड़े मालिकों को छोड़कर बाकी मालिकों के लिए मजदूर-खेती घाटे का सौदा है । मालिक और मजदूर का सम्बन्ध इतना बिगड़ गया है कि मजदूर कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-ज्यादा दाम लेना चाहता है, और मालिक कम-से-कम दाम देकर ज्यादा से-ज्यादा काम लेना चाहता है । एक काम की चोरी करता है, दूसरा दाम की । नतीजा यह होता है कि मालिक मजदूर में ऐसा सम्बन्ध होने के कारण अच्छी खेती नहीं हो पाती, और दोनों को परेशानी और गरीबी की जिन्दगी बितानी पड़ती है । दोनों इस सम्बन्ध से ऊबे हुए हैं, लेकिन बरे क्या, सूझ नहीं रहा है । ग्रामदान उन्हें रास्ता बता रहा है । वह रास्ता क्या है ? बीघा-कट्टा तो प्रतीक है जिससे आज का भूमि-मालिक इस मान्यता की घोषणा करता है कि आज जो भूमिहीन है उसे भी धरती-माता की सेवा करने का अधिकार है । आज का समाज उसके इस अधिकार को नहीं मानता । ग्रामदान में यह अधिकार तो मान्य हो जाता है, लेकिन जब ग्रामसभा बैठेगी, और गाँव में हरएक के खाने-बपड़े की चिन्ता करने लगेगी, तो गाँव का हर व्यक्ति सोचेगा, मुख्य रूप से भूमिवात सोचेंगे, कि किस तरह उन सब परिवारों को, जिनके पास रोजी का कोई दूसरा समुचित धन्या नहीं है, और जो खेती करना चाहते हैं, जमीन मिले । यह जिम्मेदारी ग्रामसभा को उठानी ही पड़ेगी । जिसके पास जमीन है वह स्वेच्छा से अधिक

देगा। ग्रामदान में गाँव के विकास की जो योजना है उसाना सही रूप जैसे-जैसे प्रकट होगा गाँव एक परिवार बनता जायगा जिसमें सबको मिलकर सबकी चिन्ता करनी पड़ेगी।

मान लीजिये सबको भूमि का एक टुकड़ा मिल गया, और सबके घर में धन्धा पहुँच गया—चरखा तो तुरन्त पहुँच सकता है—तो खेती कैसे होगी? तीसरी तरकीब है—एक, हर परिवार अपनी-अपनी खेती करे, और आपसी मेल के आधार पर परिवार आपस में श्रम-सहकार करे। दो, छोटे गाँव में पूरे गाँव की, या बड़े गाँव में कुछ परिवारों की टोलियों की, सहकारी खेती हो (जिसमें खेत अपना होगा लेकिन खेती मिलकर होगी और खेती का खर्च बाटकर भूमि के हिसाब से अनाज का बँटवारा हो जायगा)। तीसरा, सामूहिक खेती होगी—खेत भी सबका, खेती भी सबकी, अनाज भी सबका लेकिन अनाज में सबका अलग-अलग हिस्सा। गाँव में जिन परिवारों को जो पद्धति अच्छी लगे वे उसे अपनायें। हर हालत में ग्रामसभा अपने कोष से खेती के लिए सुधरे यन्त्र, खाद, अच्छे बीज, दवा, सिंचाई आदि की व्यवस्था करेगी। गाँव खुद निर्णय करे कि वह खेती की कौन सी पद्धति अपनायेगा। यह भी हो सकता है कि परिवारों के अलग अलग निर्णय से एक ही गाँव में कोई दो या तीन पद्धतियाँ साथ-साथ चलें। कोई भी पद्धति अपनायी जाय, तुरन्त मजदूरों का मिलना बन्द हो जायगा, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, यह जरूर है कि धीरे धीरे श्रम-सहकार, यानी मिलकर एक-दूसरे के खेत में काम करने की पद्धति विकसित करनी पड़ेगी।

जब खेती के नये, सुधरे यन्त्र होंगे तो श्रम-सहकार बहुत आसान हो जायगा। आज भी कई जगह गन्ने की गोडाई तथा दूसरे कई काम इसी पद्धति से होते हैं। श्रम-सहकार ही सबसे स्वस्थ पद्धति है, इसमें आपसी सम्बन्ध भी अच्छे-से-अच्छे रहेंगे, और उत्पादन भी अधिक से-अधिक होगा। लेकिन उसके पहले भी मजदूर को साझेदार बना लेना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि किसान के खेत में सामान्य (नार्मल) से अधिक जो उत्पादन

हो उसका बँटवारा हो । आपस में तय हो जाय कि कितना भाग श्रमिक का हो और कितना मालिक का ।

इसी तरह बटाईदारी ग्रामसभा के द्वारा सामूहिक तौर पर हो सकती है ताकि किसान और बटाईदार दोनों को उचित लाभ हो, और सम्बन्ध भी बने रहें ।

यह तय है कि अगर हमारे देश को आज की दुनिया में जीवित रहना है, और भेडिया की तरह एक-दूसरे को नाच-नोचकर खा नहीं जाना है, तो काम न करने का जो सस्कार दिमाग में घुसा हुआ है उस निबालना ही पड़ेगा । यह असम्भव है कि कुछ थोड़े लोग की मेहनत से पूरे देश का पेट भरे । ये हजारों ग्रामदान जिस दिन ग्रामसभाएँ बनाकर अपनी समस्याओं पर विचार करना शुरू करेंगे उस दिन उन्हें पता चलेगा कि आज की शिक्षा कितनी निवृत्ती है, उसी दिन गाँव गाँव से नयी तालीम की माँग उठेगी, और हर हृदय में यह कामना जगेगी कि हर व्यक्ति शक्तिभर श्रम करे, और सब आपस में श्रम सहकार कर । थोड़े से पेशेवर मजबूर मजदूरों के भरसे खेती कब तक चलेगी, और कैसे सुधरेगी ?

जब लोग के सामने ग्रामदान का यह भव्य चित्र आयेगा तो मन से भय निकल जायगा, और लोग समझने लगेंगे कि अलग अलग परिवार जीवन की लड़ाई में हारेंगे—हार तो वे रहे ही हैं—लेकिन मिलकर काम करेंगे तो सब जीतेंगे ।

(घ) थोड़े टुकड़े कितने भूमिहीनों को मिलेंगे ?

बाकी भूमिहीनों से क्या कहें ?

जाहिर है कि बीघा बट्टा में मिले टुकड़े सब भूमिहीनों को नहीं मिलेंगे । भूमिहीनता मिटाने, सबको रोटी रोजी देने का सवाल हल करने की जिम्मेदारी ग्रामसभा को ही लेनी होगी । हर व्यक्ति को, जो खेती करना चाहता है, जमीन मिलनी चाहिए फिर वह चाहे जिस पद्धति की खेती करना तय करे । कोई तक देकर किसीको भूमि से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

भूमि का प्रबन्ध गाँववालों के मिलकर करने से ही होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि केवल खेती से गुजर होना सम्भव नहीं है, इसलिए हर परिवार को उद्योग भी देना पड़ेगा—वह उद्योग जो आँगन में चले, गाँव या क्षेत्र में चले और जिसका खेती से मेल बैठे। इस तरह ग्रामदान हर गाँव और हर परिवार को कृषि-औद्योगिक (ऐग्रोइंडस्ट्रियल) बनाने की दिशा में पहला कदम है। जब तक खेती और उद्योग की समन्वित योजना गाँव-गाँव में नहीं चल जाती तब तक ग्रामसभा को, प्रखण्डसभा को, और सरकार को मिलकर यह स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि जो आठ घण्टे काम करने को तैयार हो उसे भोजन और वस्त्र की गारंटी रहे। यह गारंटी दी जानी चाहिए, और दी जा सकती है। हाँ, उसके लिए विकास की मौजूदा रीति-नीति को बुनियाद से बदलना पड़ेगा। ग्रामदान उस परिवर्तन का ही तो आन्दोलन है, और ग्रामसभा उसका माध्यम। यही एक ऐसा आन्दोलन है जो भूमिहीन को गाँव, सेवा सस्थाओं और सरकार की चिन्ता और चिन्तन का विषय बना रहा है, उसे दूसरों के साथ समान हैसियत का नागरिक बना रहा है, और बार-बार घोषणा कर रहा है कि जिसके पास श्रम है उसे खाने, पीने और जीने का उतना ही अधिकार है जितना उसे जिसके पास सिक्का है। लेकिन ग्रामदान किसी-की मालिकी नहीं मानता—न सिक्केवाले की, न श्रमवाले की। क्रान्ति का यह स्वर्णिम स्वरूप गाँववालों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (यह न कहा जाय कि जब पेट खाली हो तो क्रान्ति की बात नहीं सुनी जाती। सुनी जाती है, और खूब सुनी जाती है। सामने के भविष्य की स्पष्ट रेखाएँ बचित्त मानव में जो आशा पैदा करती हैं उनमें विलक्षण सजीवनी शक्ति होती है। आज तक की क्रान्तियों ने मजदूर को नारो और सघर्षों के जगल में ले जाकर छोड़ दिया है। वह भटकता रहा है, और अन्त में खो गया है। अब पहली बार वह अपनी ही नहीं, अपने पड़ोसियों की भी मुक्ति में साक्षीदार बन रहा है। यह बात उसे बतानी चाहिए।

(ड) मालिक-मजदूर के बीच की खाई ग्रामदान से ही खत्म होगी !

किसी-किसी गाँव में यह अनुभव आता है कि भूमिवान ग्रामदान के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भूमिहीनों में से कुछ, या कहीं ज्यादा भी, तैयार नहीं होते, या टालमटोल करते हैं। देखने में यह बात बेलुकी मालूम होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि ग्रामदान में भूमिहीन को देना क्या है, उसे तो पाना ही पाना है, फिर उसे ग्रामदान से क्यों पिछडना चाहिए ? यो तो ग्रामदान में हरएक को देना है, और हरएक को पाना है, लेकिन भूमिहीनों को वही-कही जो भय होता दिखायी देता है—यद्यपि भय न व्यापक है, और न टिकनेवाला—उसके कारण स्पष्ट है। तरह-तरह की बातें कहकर उनसे अँगूठे का निशान लिया गया है, दस्तखत कराया गया है, उनकी जमीनें छीनी गयी हैं, बर्ज की नालिश की गयी है, वे मुकदमे में फँसाये गये हैं। यह सब हुआ है, और आज भी हो रहा है ! फिर कैसे मजदूरों को विश्वास हो कि ग्रामदान का कागज मालिकों का मन साफ कर देगा ? सचमुच मालिक और मजदूर के बीच की खाई इतनी जबरदस्त है कि दोनों को नये सिरे से विश्वास के धागे में बाँधना आसान नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर दोनों या एक-दूसरे के प्रति दिल साफ न हुआ तो गाँव को बचाना असम्भव है। ग्रामदान का अनुभव बता रहा है कि भले ही शुरू में कुछ भूमिहीन आनावानी करें, लेकिन समझाने पर समझ जाते हैं, और एक बार समझ जाने पर पीछे नहीं हटते, और कुछ तो बड़ी उदारता और उत्साह के साथ काम करते हैं।

(च) सर्वसम्मति और सर्वानुमति या व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा ?

ग्रामसभा का विचार आकर्षक है, लेकिन विरोध और वैमनस्य से जर्जर गाँव में सर्वसम्मति या सर्वानुमति से कोई निर्णय होगा कैसे ? बात-बात में लडनेवाले गाँववालों को इसका अभ्यास कैसे कराया जायगा ?

जैसे-जैसे ग्रामदान की हवा बनती जा रही है, और ग्रामदान के बाद प्रखण्डदान और अनुमण्डलदान होते जा रहे हैं, (और अब जिलादान की तैयारी हो रही है) कई बातें जो असम्भव मालूम होती थी अब सम्भव मालूम होने लगी हैं। लोगों में यह प्रतीति पैदा होती जा रही है कि 'गाँव' एक है, और एकता से ही वह बच सकता है। एकता की भावना ज्यों-ज्यों बढ़ेगी आदमी का दिमाग जाति, दल, वर्ग से ऊपर उठकर पूरे 'गाँव' की बात सोचेगा। ग्रामदान से गाँव में ग्रामसभा के द्वारा जो व्यवस्था ब्याप्य होगी उसमें सबकी रुचि होगी क्योंकि उसके हाथ में दो चीजें ऐसी होंगी जिनसे सबका स्वार्थ जुड़ा होगा—एक, ग्रामकोष, दूसरी जमीन। स्वार्थ की रक्षा के लिए ग्रामसभा का ठोस संगठन और उसकी पूर्ण सक्रियता को बनाये रखना जरूरी है, इसलिए भी ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का जोर रहेगा कि वह टूटने न पाये।

आज गाँव में लड़ाई क्यों होती है ? दो कारण मुख्य हैं—एक, चुनाव, दूसरा, जमीन की मालिकी, और उससे उठनेवाले सवाल। एक बार चुनाव का सिलसिला खत्म हो जाय, और जमीन का खाता ग्रामसभा के नाम हो जाय तो झगड़े के दो सबसे बड़े कारण समाप्त हो जायेंगे और, इन कारणों के समाप्त होने पर झगड़ा लगानेवाले भी नहीं रह जायेंगे।

पुलिस-अदालत में गाँव के झगड़े न जायें, यह कोशिश गाँव के लोगों को आपस में जोड़ेगी। ग्रामदान के बाद ग्रामसभा बन जाने पर शान्ति का वातावरण बनेगा, और एक ऐसा नेतृत्व विकसित होगा जो शान्ति बनाये रखने का प्रयत्न करता रहेगा। गाँव का बुरा-से-बुरा आदमी हो, वह गाँव के प्रबल बहुमत के मुकाबिले नहीं टिक सकेगा।

ग्रामसभा स्वयं एक बड़ी रचनात्मक शक्ति होगी। फसलों की रक्षा, झगड़ों का निबटारा, कर्ज की सुविधा, विकास के काम, जब सब उसकी ओर से होंगे तो उसे सबकी भक्ति मिलेगी, और सब मिलकर उन्नति की बात सोचेंगे। खेती, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आदि को

लेकर मामूली मतभेद भले ही हो जायें, लेकिन विरोध और सघर्ष की नीवत क्यों आयेगी ? [मतभेद हो तो हर्ज भी नहीं, लेकिन विरोधवाद और सघर्ष को टालना चाहिए] गाँव की नयी व्यवस्था और वातावरण में इनको टालना आसान होगा, क्योंकि जीवन के बुनियादी सवाल सबके लिए समान होंगे ।

इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है । पहली बात यह है कि ग्रामसभा के अध्यक्ष, मंत्री और कार्य-समिति के सदस्यों के चुनाव में सर्वसम्मति का आग्रह रखा जाय । किसी हालत में ग्रामसभा बनाने की जल्दी में बहुमत से चुनाव न कराया जाय । अनुभव आ रहा है कि सर्वसम्मति का आग्रह सफ़र होता है । समझौते से रास्ता न निकले तो निर्णय लाटरी डालकर किया जाय ।

दूसरी महत्व की बात यह है कि जो लोग ग्रामदान में शामिल नहीं हैं उनके साथ दुराव की नीति न बरती जाय । ग्रामसभा में तो वे सदस्य रहेंगे ही, लेकिन इस नाते उनके प्रति हर बात में उदारता बरती जायगी तो बहुत जल्द वे ग्रामकोष और बीघा-बट्टा में भी शरीक हो जायेंगे, और महगूस करेंगे कि ग्रामदान में उनका हित है, अलग रहने में नहीं है । गाँव के छोटे से लोग 'तूपान' के मुकाबिले कब तक ठहर सकेंगे ? लेकिन नीति उन्हें दबाकर नहीं, बल्कि प्रेम से अपने में मिलाने की होनी चाहिए ।

यह सब होने पर भी सम्भव है कि आसानी रगड़े-शगड़े के कारण गो में दो-चार ग्राम-गभाएँ लँगड़ी-तूली निकल जायें । इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । दूसरी ग्रामगभाएँ और स्वयं प्रयत्नसभा उन्हें राम्ते पर लाने का काम करेंगी । अन्त में हारने पर ग्रामदान-न्याय में उनके 'गुपरसेशन' की गुजादग्न रखी गयी है । लेकिन इन गयमे बड़ी दक्षिण स्वयं समय के प्रवाह में है ।

२. ग्रामदान : एक जन-आन्दोलन या मात्र कार्यक्रम ?

ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी और शान्ति-सेना तीनों को मिलाकर ग्राम-स्वराज्य का चित्र पूर्ण होता है। इनमें ग्रामदान बुनियाद है जिसके आधार पर खादी और शान्ति-सेना खड़ी होती है। ग्रामदान से गाँव सचमुच गाँव बनता है, ग्रामदान में गाँव अपने 'स्व' को पहचानता और अपनी मुक्ति की घोषणा करता है। मुक्ति किससे ? अभाव से, अज्ञान से, अन्याय से। इतना ही नहीं, राज्य, पूँजी तथा शस्त्र की उन तमाम शक्तियों से मुक्ति जो शिक्षण, पोषण और रक्षण के नाम से मनुष्य की रोटी, इज्जत और ईमान छीन रही हैं, उसे पगु और कुठित बना रही है। एक ओर जमाना मनुष्य के मन में मुक्ति की नयी उमंगें भर रहा है, तो दूसरी ओर वह देख रहा है कि राज्य, जिसके सरक्षण में उसने नागरिकता की चेतना विकसित की, और शस्त्र जिससे उसने अपने को सुरक्षित समझा और पूँजी जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक उत्पादन का आधार बनी, वे तीनों शक्तियाँ आज उसके विकास के मार्ग में सबसे जबरदस्त बाधाएँ बन रही हैं। इसलिए नागरिक की वास्तविक लड़ाई राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद से मुक्ति की लड़ाई है। ग्रामदान से गाँव इस अभियान में मुक्ति का पहला मोर्चा बन रहा है, और ग्रामसभा उसका माध्यम। इसलिए ग्रामदान एक व्यापक जन-आन्दोलन है; ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे छोड़कर शेष कार्यक्रमों को पूरा कर लिया तो बहुत विगड़ा नहीं। अगर ग्रामदान के द्वारा गाँव की सामूहिक इच्छा-शक्ति न प्रकट की गयी तो दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए कोई आधार ही नहीं मिलेगा।

(क) वर्तमान स्थिति : ग्रामदान में तूफानी गति न आने के कारण अब धीरे-धीरे हमारे इस आन्दोलन की ऐसी स्थिति बन रही है कि वह जन-आन्दोलन के बरीब पहुँच रहा है। जहाँ-जहाँ ग्रामदान का काम अधिक है वहाँ नये लोग—स्वयं ग्रामदानी गाँवों के लोग—सामने आ रहे हैं और धीरे-धीरे आन्दोलन की चेतना व्यापक हो रही है, फिर भी अभी तक कार्य,

कर्ता और कोप तीनों की दृष्टि से, ग्रामदान का काम मुख्य रूप से रचनात्मक सस्थाओं तथा मित्रों के ही भरोसे चल रहा है। उसे पूर्ण रूप से जन-आन्दोलन का रूप देना बाकी है। उसकी एक कसौटी यह है कि ग्रामदान ऐसे लोगों के द्वारा चले जिनकी जीविका की अलग से चिन्ता न करनी पड़े। गहराई से देखने पर हमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं :

(१) विरोध : किसका, किस तरह का, किस कारण से ?

मुख्य तौर पर विरोध के पाँच स्रोत हैं—बड़े मालिक, महाजन, दलों के 'स्थानीय' नेता, सरकारी कर्मचारी, स्वयं भूमिहीन। जगह-जगह इनमें से एक या एक से अधिक का विरोध—बहुत खुला नहीं, अन्दर-अन्दर—होता है, लेकिन जब से प्रखण्डदान की हवा बही है, बात बहुत बदलती जा रही है। अगर हम अपनी ओर से अविरोधी नीति रखेंगे तो विरोध कम होगा ही। हमें यह भूलकर काम करना है कि कोई हमारा स्थायी विरोधी है। हम समाज को शोषक और शोषित इन दो वर्गों में नहीं विभाजित करते। हमारी मान्यता यह है कि सब दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, इसलिए मुक्ति के लिए उत्सुक हैं।

विरोध के मुख्य कारण हैं - लिप्ता और अज्ञान। ग्रामदान किस तरह की ग्राम-व्यवस्था और समाज-व्यवस्था की कल्पना करता है, इसके बारे में सही जानकारी न रहने के कारण जो विरोध होता है उसे दूर करना हमारा काम है। सही जानकारी होने पर जब लोग आश्वस्त हो जायेंगे कि सर्वोदय की व्यवस्था में 'सब' के लिए स्थान है, इसमें न सघर्ष है, न सहार, तो भय भी बहुत कुछ दूर हो जायगा। लोभ के कारण होनेवाला विरोध सबसे विकट है। ऐसे नये लोग जो सत्ता में घुसना चाहते हैं, या जो प्राप्त सत्ता में आज की तरह बने ही रहना चाहते हैं, या किसी-भी-तरह धन बनाकर 'बड़ा' बनना चाहते हैं वे समझकर भी नहीं समझते, और तरह-तरह की सिद्धान्त

की बातें करके अपने मन की बात को छिपाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ धैर्य रखने की जरूरत है। हम देखेंगे कि ग्रामदान की हवा बनती जायगी तो इनका 'कुटिल विरोध' प्रभाव खोता जायगा।

प्रखण्डदान की भूमिका में अब यह जरूरी हो गया है कि हम ग्रामदान ऊपर से शुरू करें। प्रखण्ड के प्रमुख व्यक्ति, पंचायत के प्रमुख व्यक्ति, गाँव के प्रमुख व्यक्ति—हमारे प्रवेश का यह क्रम हो। प्रवेश का यह क्रम व्यावहारिक है। अब हमें साहस करके गाँव के 'बड़ों' में घुसना चाहिए। 'बड़ों' के अनुकूल हो जाने से शेष विरोध दूर हो जायेंगे।

(२) सामान्य जनता की उदासीनता—

सामान्य जनता उदासीन है, निष्क्रिय है, निराश और निष्प्राण है। उसे किसीकी नेकनीयती में विश्वास नहीं है। उसे हालत सुधरने की आशा नहीं रह गयी है। उसे अपनी शक्ति में भरोसा नहीं है। लेकिन आन्दोलन की हवा उनकी मनोवृत्ति (ऐटीट्यूड) को प्रभावित कर रही है। ग्रामदान की दो बातों से रूख तेजी से बदलेगा। एक, बीधा-कट्टा का वितरण और ग्रामसभा का सगठन, दो, प्रखण्डसभा की ओर से प्रखण्डस्तर पर ऐसा कोई विकास-कार्य जिसका गहरा 'इम्पैक्ट' हो। उदाहरण के लिए जिस दिन प्रखण्ड की सौ ग्रामसभाओं में से दस चार आगे निकलेंगी और आपसी सहकार से उल्लेखनीय कार्य कर दिखायेंगी, उस दिन जनता की आशा और विश्वास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

(३) अपूर्णता—कार्यकर्ता की, विचार की।

संस्था के कार्यकर्ताओं की अपूर्णता का आन्दोलन पर गहरा असर हुआ है, और हो रहा है, यह स्पष्ट है। लेकिन प्रखण्डदान के तिलतिले में स्थानीय शक्ति सामने आ रही है। उसे आगे रखकर स्वयं पीछे रहने का सवाल है। हमें नये लोगों के साथ भाई चारा

कायम करने की कला सीखनी है। साथ ही हमें ऐसा कोई हुनर भी सीखना चाहिए जो जनजीवन के लिए उपयोगी हो, और जिसे लेकर हम समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकें। लेकिन हमारा सबसे बड़ा गुण है हमारे अन्दर क्रान्ति की आग। कार्यकर्ताओं की संख्या को कमी स्थानीय लोगों से पूरी होगी, लेकिन जो सस्था के कार्यकर्ता हैं उन्हें लगन, सातत्य, बौद्धिक क्षमता और टीम-वर्क की दृष्टि से अपने में सुधार लाने के उपाय तो करने ही होंगे।

जहाँ तक विचार की व्यावहारिकता का प्रश्न है, ग्रामदान की मुख्य शर्तों का विरोध बहुत कम होता जा रहा है। ज्यादा कठिनाई स्वामित्व-विसर्जन को लेकर थी, लेकिन उसके व्यावहारिक स्वरूप को समझ लेने के बाद भय निकल जाता है। अब ऐसे लोग अधिक संख्या में मिलने लगे हैं जो कहते हैं 'इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है।' कुल मिलाकर प्रश्न शर्तों का नहीं रह गया है, प्रश्न यह रह गया है कि गाँव में इतनी फूट है कि यह योजना चलेगी कैसे? यह भी है कि फूट मिटेगी तो योजना चलेगी, और योजना चलेगी तो फूट मिटेगी। एक दुश्चक्र है, इसे कहीं-न-कहीं तोड़ना है। इस दृष्टि से ग्रामदान की शर्तें सबकी शक्ति के अन्दर हैं, व्यावहारिक हैं। उनसे गाँव के जीवन की बुनियादें तो बदलेंगी ही, तात्कालिक कठिनाइयों का मुकाबिला करने की शक्ति भी आयेंगी। इस बुनियादी शक्ति के अभाव में तात्कालिक समस्याओं का हल भी कैसे निकलेगा?

३. आन्दोलन की स्थिति : कुछ खास बातें

- (१) जिन प्रखण्डों का दान हो गया है उनमें जल्द-से-जल्द ग्राम-सभाओं और प्रखण्डसभा का संगठन किया जाय, ताकि जनता को ग्रामदान के गर्भ से जन्म लेनेवालों सहवार-शक्ति आँखों के सामने दिखायी देने लगे। इससे ग्रामदान में विदवास जगेगा, और यह बरोसा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं।

- (२) कार्यकर्ताओं का ग्रामदानमूलक प्रशिक्षण आवश्यक है, जिसका अभी अभाव है। इस दृष्टि से सस्थाएँ अपने कार्यकर्ताओं की दो टोलियाँ बना सकती हैं—एक प्रखण्डदान-अभियान के लिए, दूसरी प्रखण्डदान के बाद सघटन और विकास के लिए। विकास की टोली के हर सदस्य को कोई-न कोई ऐसा हुनर आना ही चाहिए जो ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी हो।
- (३) बड़ी संख्या में शिविर हों—ग्रामसभाओं की ग्रामसमितियों के सदस्यों के और शान्ति-सेवक के रूप में उत्साही युवकों के।
- (४) प्रखण्डदान के बाद प्रखण्ड की पूंजी से 'ग्रामदान विकास सोसाइटी' का सगठन हो जो प्रखण्ड में विकास की जिम्मेदारी ले सके। यह स्वयं प्रखण्ड सभा के अधीन हो, और इसके 'टेकनिकल कोर' के रूप में भूमिसेना (या मुक्ति सेना) का सगठन हो।

इन कामों से प्रखण्ड की जनता को नयी आशा और विश्वास का भान होगा, और उसके सामने नये समाज का कुछ चित्र भी आयेगा।

कुछ अन्य बातें :

१. राज्य में राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक दल हो जो विभिन्न जिलों के आमंत्रण पर प्रखण्डदान अभियान में नेतृत्व का काम कर सके। जिला स्तर पर भी टोली बन सकती है।
२. वच्चे ग्रामदान और प्रखण्डदान रोकने के उपाय हों—'सेम्पुल ट्रेस्टिंग' की जाय।
३. ग्रामदान कानून की मुख्य बातें छापकर बाँटी जायें।
४. ग्रामदान से उठनेवाले मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रश्नों का अध्ययन हो। आन्दोलन से समाज पर होनेवाले 'इम्पैक्ट' का विश्लेषण हो।

ग्रामदान : पुष्टि (लोक-संगठन) : ३ :

१. निर्माण : ग्रामदान को पक्का करना—

शर्तों की पूर्ति

ग्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र और व्यक्तिगत सम्पन्न-पत्र भरने के बाद यानुनी पुष्टि हो जाने पर गाँव के लोगों के माध्य सरकार का भूमि के मामले में सम्बन्ध बदल जायगा । हर व्यक्ति का अलग-अलग छाता सरकार के पास न रहकर ग्रामदान के पास रहेगा और सरकार के पास पूरे गाँव का गिरफ्तार खाता रहेगा । चूंकि यह भूमि के राजस्व का मामला है, इसलिए गाँव के लोगों द्वारा ग्रामदान का जो निर्णय होता है, उसे सरकार की मान्यता मिलनी है । सरकारी मान्यता के लिए उम्मेद कुछ नियम-वानून होते हैं । प्रायः हर राज्य में जहाँ ग्रामदान हो रहे हैं, ग्रामदान-वानून बन गये हैं, या बनने जा रहे हैं । सरकारी मान्यता ग्रामदानी गाँवों को तभी प्राप्त होगी जब राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ग्रामदान-वानून की शर्तें पूरी होंगी । शर्तें पूरी हों इसके लिए ग्रामदान-वानून की शर्तों को ध्यान में रखकर ग्रामदान के महत्त्व-पत्र और घोषणा-पत्र बनाये गये हैं । अधिक भारतीय नगर पर नमूने के लिए सर्वे मेवा मण्डल और घोषणा-पत्र तैयार किया है । (देखें परिशिष्ट २) इसलिए दोनों प्रकार के पत्रों (पत्रों) की हर तरफ़ों की धरना आवश्यक है ।

कानूनी मान्यता मिलती है। ग्रामदान के लिए आवश्यक है कि (१) कम-से-कम इतने लोगो ने समर्पण-पत्र पर हस्ताक्षर किये हों जो गाँव के कुल निवासियों के कम से-कम ७५ प्रतिशत हों, और (२) जितनी भूमि गाँव में रहनेवालों की गाँव में जितनी भूमि है उसकी कम से-कम ५१ प्रतिशत हों। (कई राज्यों में कम-से-कम ७५ प्रतिशत भूमिवालों का हस्ताक्षर भी आवश्यक है) समर्पण-पत्र पर कर्ता के साथ-साथ परिवार की भूमि के सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

प्रारम्भिक निर्माण-कार्य

ग्रामदान की घोषणा के बाद समर्पण-पत्र की तफसीलों को भरवाना, ग्रामसभा गठित करवाना और बीघा कट्टा निकलवाना, ये प्रारम्भिक निर्माण कार्य हैं, बल्कि इन्हें निर्माण की बुनियाद कहना उचित होगा। लेकिन यह काम कौन करे ?

ग्रामदान प्राप्त करनेवाले कार्यकर्ताओं और ग्रामदान प्राप्ति की संयोजन-समितियों को, ग्रामदान की घोषणा में जो फिजा बनती है उसका लाभ लेकर, यह काम कर लेना चाहिए। इस काम में गाँव के उन उत्साही लोगो का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने ग्रामदान कराने में विशेष दिलचस्पी ली है। पहले ग्रामसभा गठित हो, और उसके बाद ग्रामसभा ही बीघा-कट्टा निकालने का काम करे, यह पद्धति अधिक प्रभावी कारी होगी। लेकिन बीघा-कट्टा निकालने में देर नहीं होनी चाहिए। समर्पण-पत्र की शर्तें पूरी हो जाने, ग्रामसभा गठित हो जाने और बीघा-कट्टा निकालने के बाद ही अधिकांश ग्रामदानी गाँव उस मजिल पर पहुँचते हैं, जहाँ से वे खुद विवास की दिशा में आगे बढ़ने में प्रयत्नशील हो सकेंगे।

ग्रामसभा

ग्रामदान की घोषणा के बाद ग्रामसभा का गठन ही पहला निर्माण का काम है। ग्रामदान प्राप्ति का काम करनेवाले गाँव की पहली बैठक बुलायें, उसमें गाँव की एकता के महत्त्व और चुनाव की विघटनकारी पद्धति के दुष्परिणामों को गाँववालों के सामने रखते हुए ग्रामसभा के बारे

में यह बताये कि सर्व के 'उदय' में सर्व की शक्ति को लगाने और उसे संयोजित तथा संगठित करने के लिए ग्रामसभा बनेगी। इसीलिए उस ग्रामसभा के संगठन और चुनाव में विरोध नहीं पैदा होना चाहिए। ग्रामसभा गाँव में बसनेवाले हर बालिग को मिलाकर बनेगी। अध्यक्ष, मन्त्री, और कार्य-समिति का चुनाव ग्रामसभा के सब सदस्यों की एकराय से होना चाहिए। गाँव के लोग चाहें तो कार्य-समिति के चुनाव की जिम्मेदारी अध्यक्ष को ही सौंप सकते हैं, या कार्य-समिति का भी खुला चुनाव कर सकते हैं। जिसके लिए ग्रामसभा के सब लोग एकराय हो, किसीका भी विरोध न हो, वह निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर किसी विषय में अधिकांश लोग एकराय हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग विरोधी हैं, तो विरोध करनेवालों की बात सुननी चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अधिकांश लोगों की जो राय है उसे विरोध करनेवालों को समझाना चाहिए। यह प्रक्रिया समझाने और समझाने की तब तक चलनी चाहिए जब तक कि विरोध खत्म न हो जाय। विरोध करनेवाले अपना विरोध वापस कर ले, भले ही अपना सत्रिय समर्थन न दें, तटस्थ ही रहें, तो भी वह निर्णय मान्य हो सकता है, इसे सर्वानुमति कहेंगे। अगर परिस्थिति और भी विकट हो और कई उम्मीदवार हो तो सर्वाधिक मत जिन लोगों को प्राप्त है, उनमें पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर के लोगों के नाम पर लाटरी डाली जाय, और जिसका नाम आये उसे ही चुना जाय। लोग चाहें तो सबके नाम पर लाटरी डाली जाय।

जिस गाँव में जितने अधिक झगड़े हो, उस गाँव में उतना ही अधिक सर्व-सम्मति का आग्रह रखा जाय। गाँव के चेतन लोगों को चाहिए कि विरोधवादी प्रवृत्ति और उसके कारणों को क्षीण करने का निरन्तर प्रयास करे। तभी गाँव की एकता अखण्डित रह सकेगी, और सबकी शक्ति एक साथ जुड़कर प्रकट हो सकेगी।

सो या सो से अधिक जनसंख्या के गाँवों की अपनी अलग ग्रामसभा बनाने की छूट ग्रामदान कानून ने दी है, यह ठीक है। यह छूट भूमिहीन

गाँवों को भी उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे भूमिदान गाँवों को । भूमि के आधार पर भेद करना ठीक नहीं है ।

ग्रामदानी गाँव के गैर-ग्रामदानी २५ प्रतिशत या उससे कम लोग ग्रामसभा के सदस्य होंगे । वे ग्रामदान में शरीक नहीं हैं, इस कारण उन्हें साथ दुराव नहीं होना चाहिए । अगर ये लोग ग्रामकोष में शरीक होंगे तो उसका लाभ लेंगे । बाकी प्रवृत्तियों में सबको साथ रखने पर ध्यान रहे नहीं तो तनाव बढ़ने का खतरा है । इस प्रश्न पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए ।

सरकार से कानूनी सम्बन्ध

इस सम्बन्ध में तीन बातें सामने आयी हैं :

- (१) आज भी कानून के अन्तर्गत ग्रामदानी ग्रामसभाओं को पंचायत का दर्जा प्राप्त है । राजस्थान में प्रति एक हजार ग्रामदानी आवादी के पीछे पंचायत समिति में प्रतिनिधि जाता है । यह अच्छा है ।
- (२) ग्रामसभा गलत काम करे तो सरकार ग्रामदान बोर्ड की सलाह से 'सुपरसीड' करे तथा आगे की कार्रवाई करे ।
- (३) मौजूदा पंचायती राज में चुनावों को लेकर गुटबन्दी होती है । ग्रामदानी गाँवों के प्रतिनिधि इस गुटबन्दी से दूर रहे । धीरे-धीरे उसको मिटाने की ओर प्रयत्नशील हो । प्रखण्डदान से ग्रामदान और पंचायती राज के बीच की उलझनें दुस्त हो जायेंगी ।

पार्टीबन्दी के कारण विकास-योजनाओं के लाभ से ग्रामदानी गाँव वंचित किये जा सकते हैं, क्योंकि वे किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी नैतिक शक्ति होगी तो यह नोबत नहीं आयेंगी ।

बीघा-कट्टा

बीघा-कट्टा निकालने के लिए अमीन कहाँ से आये, छोटे-छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कैसे किया जाय, यह एक कठिन सवाल है ।

बीघा में कट्टा निकालने के पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामसमाज की एकता सुदृढ़ हो, गाँव में बसनेवाला हर छोटा-बड़ा दान की प्रक्रिया में शामिल हो, भूमिहीनों का भी गाँव की धरती से लगाव बने, और उन्हें भूमि भी मिले, इसलिए जिनके पास थोड़ी भी जमीन है, वे भी बीसवाँ हिस्सा अवश्य दान में निकालें । लेकिन बहुत थोड़ी जमीनवाले, और ऐसे लोग जिन्हें सरकारी परिभाषा में भूमिहीन माना गया है, अपनी भूमि का बीसवाँ भाग दान में देगे तो वह बहुत छोटा टुकड़ा होगा । उसे बाँटने में कठिनाई होगी । इसलिए ग्रामसभा चाहे तो (१) उस दान के हिस्से की जमीन जितनी है उसकी कीमत बसूल करे, या तो एक मुस्त में या फिर फसल पर, जब तक कि पूरी कीमत न मिल जाय, फिर उस पैसे से जमीन खरीदकर भूमिहीनों को दे, या (२) थोड़ी भूमि के ऐसे मालिकों को उनका हिस्सा लेकर फिर उन्हें ही वापस कर दे, या सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को बीसवें हिस्से के 'दान' से छूट ही दे दें । (३) बड़े मालिकों से निवेदन करे कि गाँव में कोई भी भूमिहीन नहीं रहे, इसके लिए बीसवें हिस्से के अलावा कुछ अधिक भूमि का दान करे ।

बीघा-कट्टा निकालने के लिए बागज और नाप बर्गरह की जानकारी रखनेवाले अमीन की जरूरत होगी, जो सब जगह उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए ग्रामसभा गाँव के ही जानकार लोगों की मदद से यह काम कर ले ।

बीघा-कट्टा में प्राप्त कुल भूमि टुकड़ों में बिखरी होगी । वितरण में सुविधा होगी अगर उन टुकड़ों को एक चक में कर लिया जाय । इसके लिए 'बदलौन' की या और कोई पद्धति अपनायी जा सकती है । ग्रामसभा मिलकर सोचेगी तो कोई-न-कोई आपसी ढग निकाल लेगी । कई ग्रामदानी गाँवों ने यह समस्या आपसी बदलौन से हल कर ली है ।

ग्रामसभा बनाने या बीघा बट्टा निकालने के लिए कानूनी कार्रवाई की राह देखने की जरूरत नहीं है। कानून के अनुसार ग्रामदान की पुष्टि जब होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले सब काम आपसी ढंग से हो सकता है, और होना चाहिए। गाँव की आपसी शक्ति ही ग्रामदान की असली शक्ति है।

ग्रामकोष

कुल उपज, मजदूरी एवं हर प्रकार की आय का हिस्सा घोषणापत्र के अनुसार ग्रामकोष में जमा किया जाय। ग्रामसभा इसे निर्धारित करने की पद्धति निश्चित करेगी। सामान्यतः यह अच्छा होगा कि परिवार अपनी आय स्वयं बताये, और ग्रामसभा परिवार की बात मान ले। अविश्वास से विवाद बढ़ेगा, और विवाद से एकता टूटेगी। उत्तम व्यवस्था एवं वातावरण इसमें सहायक होगा। ग्रामकोष इकट्ठा करने के श्रम में विश्वास बढ़े, घटने न पाये, इसका ध्यान रखना चाहिए।

ग्रामकोष का विनियोग

क—ग्रामकोष ग्रामसभा की स्थायी पूंजी होगी। यह खर्च बहुत अधिक नहीं होगी जिसे विकास-कार्य पर खर्च किया जाय। इस कारण कोष हमेशा पूंजी या लागत के रूप में ही लगाया जाय। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि का कार्य चन्दा, श्रमदान या सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाय।

ख—ग्रामकोष १/२० हिस्सा की सीमा तक नवद पैसे में जमा रहे, शेष ऋण, स्थायी सम्पत्ति, पक्का माल या व्यापारिक लागत में लगा रहे।

ग—स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ऋण की मदो का आवश्यकता-नुसार वर्गीकरण किया जाय एवं बरीयता स्थिर की जाय, जैसे—
(१) बेकारी निवारण, कृषि की प्रारम्भिक पूंजी, वृषि-मुधार, बुटीर-उद्योग आदि;

- (२) गाँव की आय के अनुसार नागरिकों के दो-तीन वर्ग किये जायें,
- (३) निम्न-वर्ग के लोगों को दवा, मकान आदि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए ऋण दिये जायें,
- (४) उत्पादन के ऋण के लिए सूद की दर कम रखी जाय तथा सूद पुन उन्हींको आगे अपनी कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए दिया जाय,
- (५) सूद की दर में आर्थिक श्रेणी के अनुसार भेद किया जाय यानी गरीब के लिए कम, मध्यम वर्ग के लिए साधारण तथा ऊपर के वर्ग के लिए अधिक रखा जाय,
- (६) गाँव के सम्पन्न लोग यदि अपनी कृषि या उद्योग के लिए ग्रामकोष से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, और ग्रामकोष में रुपया मौजूद है तो ऋण दिया जाय, पर ध्यान रखा जाय कि बर्ज की पूंजी से कमाये गये मुनाफे का एक भाग ग्रामकोष में वापस हो ।

हिस्साब बित्ताय

ग्रामकोष गाँव में झगडे का कारण हो सकता है, यह मानकर वाप को टाकधाने या बैंक में जमा करने, दो-तीन लोगों के दस्तखत से निकालने, तथा पूरा हिस्साब ग्रामसभा की मासिक बैठक में पेश करने, और समय-समय पर आडिट कराते के बारे में बहुत मतकं रहना चाहिए । बोर्ड काम ऐसा न हो जिससे विमीने मन में सन्देह पैदा हो । ग्रामकोष शुरू करने के पहिले आवश्यक व्यवस्था कर लेनी चाहिए ।

ग्रामदान पक्का कब मानें ?

ग्रामदान की घोषणा गाँव के लोगों ने कर दी तो वह गाँव ग्रामदानी

हो गया । लेकिन पचासत के पूरे अधिकार तथा सरकार के साथ नये प्रकार के सम्बन्ध तब बनेंगे जब कानून से भी ग्रामदान पक्का (कनफर्म) हो जायगा । लेकिन इस पक्का करने की प्रक्रिया में और उसके पूरी होने में अनेक कारणों से विलम्ब हो सकता है । इसलिए ग्रामदान होने के बाद गाँव में लोग उस कानूनी कारवाई का इन्तजार किये बिना ही अपना काम शुरू कर दें । कुछ प्रारम्भिक कार्य ये हैं—

- १ ग्रामसभा बनाना,
- २ जमीन के बीसवें हिस्से की प्राप्ति और उसका बँटवारा,
- ३ पुलिस-अदालत-मुक्ति का सकल्प, गाँव के क्षगड़े गाँव में सुलझा लिये जायें,
- ४ शान्ति-सेवा-दल का संगठन,
- ५ ग्रामदान को ठोस बनाने के लिए गाँव के लोगों का विचार-शिक्षण-आपसी चर्चा, घण्टेभर का विद्यालय, सत्संग, शिविर आदि के द्वारा तथा सामूहिक भ्रमदान, सप्ताह में, १५ दिन पर या महीने में एक दिन का, जैसा गाँव तय करे । शिविरो में पड़ोसी गाँव के लोग भी शरीक किये जायें । शान्ति-सेवा-घण्टल प्रान्तीय तथा तीन-चार जिलों के मिले-जुले शान्ति-सेवा-दल के शिविरो को आयोजित करने की जिम्मेदारी ले सकता है ।

ग्रामदान पक्का करने के लिए राज्य-सरकारों ने अपने-अपने ग्रामदान-कानून में अलग-अलग व्यवस्था तय की है । जिन राज्यों में भूदान-बोर्ड या ग्रामदान-बोर्ड है उन्हे ही ग्रामदान पक्का करने की जिम्मेदारी दी जाय, और इन जिम्मेदारी को वे स्थानीय सर्वोदय संगठन और रेवेन्यू विभाग के तन्त्र की सहायता लेकर पूरी करे । भूदान या ग्रामदान-बोर्ड न हो तो यह जिम्मेदारी रेवेन्यू-विभाग की मानी जाय ।

ग्रामदान-सभ, स्थानीय संगठन, प्राप्ति-कार्य में योग देनेवाले अन्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, भूदान-समिति, ग्रामदान-बोर्ड के कार्यकर्ता,

सबकी मदद से ग्रामदान पक्का हो । सहयोग लेने का काम प्राप्ति के कार्यकर्ता करे । 'तूफान' के साथ इस कार्य को भी बराबर का महत्त्व दिया जाय ।

२. विकास (पोषण)

अ—लक्ष्य ,

ग्रामस्वराज्य की भूमिका में ग्रामदान के बाद विकास के जो भी काम होंगे उनका लक्ष्य होगा सरकार-शक्ति के स्थान पर गाँव और क्षेत्र में सहकार-शक्ति विकसित करना । गाँव और क्षेत्र के विकास की योजनाएँ स्थानीय हो, और उनका सयोजन, संचालन स्थानीय लोक-शक्ति से हो, तो धीरे-धीरे लोक शक्ति ठोस होती जायगी और राज्य-शक्ति क्षीण होती जायगी ।

ब—विकास का चित्र

सन्तुलित और समग्र विकास की तीन मूल बुनियादे होंगी—
(१) भौतिक, (२) नैतिक, (३) सांस्कृतिक ।

भौतिक विकास की योजनाओं की दो दिशाएँ होंगी—

(१) उत्पादन-वृद्धि

मालिक अपनी बुद्धि, महाजन अपनी पूंजी और मजदूर अपने श्रम की शक्तियों का संगठन करने दो काम करे—(क) गाँव की खेती और चालू उद्योग-धन्धों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों तथा काम करनेवालों के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था ताकि वमाई बढे, तथा (ख) गाँव के हर आदमी को रोजगार मिले ताकि गाँव में किसीको भूखा-नगा न रहना पड़े । इसके लिए गाँव में नये उद्योग-धन्धा की शुरुआत हो । कोशिश यह हो कि धीरे-धीरे सबकी उत्पादन-क्षमता बढे और सबको सन्तुलित आहार और सबके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग जाय । पीने लायक पानी पर तत्काल ध्यान दिया जाय ।

(२) शोषण-मुक्ति

शोषण-मुक्ति के लिए आर्थिक क्षति को सबसे पहले रोकना होगा। आर्थिक क्षति को रोकने के लिए ऋण-मुक्ति (सूद की अपरिमित दरें, गिरवी भूमि, उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, बाजार से पूरी होनेवाली आवश्यकताओं का मनमाना मूल्य—इन सब प्रकार की परिस्थितियों से मुक्ति की योजना), नशामुक्ति, कुप्रथाओं (जिनके कारण व्यर्थ का खर्च होता है और गाँव के लोग कर्जदार बनते हैं, जैसे—शादी, श्राद्ध आदि के मौके पर होनेवाले फालतू खर्च) का निरमन, पुलिस-मुक्ति, अदालत-मुक्ति (गाँव की रक्षा के लिए शान्ति-सेवा-दल का संगठन, गाँव के झगड़ों या गाँव में ही मुलजाना), आदि कार्यक्रम लेने होंगे। ध्यान इस ओर रहे कि (क) जीविका की सुरक्षा हो—अनिश्चितता दूर हो, (ख) कर्मार्थ का कुछ अंश पूँजी के लिए बचे, (ग) एक गाँव द्वारा दूसरे गाँव का शोषण न हो।

नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास : मुख्य आधार

- (क) गाँव का सामूहिक अभिन्नम जागृत हो, तथा सरकार-शक्ति की जगह सहकार-शक्ति और बण्ड-शक्ति की जगह सम्मति-शक्ति का विकास हो।
- (ख) सर्व-सम्मति और सर्वानुमति की मानसिक भूमिका बने और सामूहिक निर्णय की शक्ति पैदा हो।
- (ग) एक दूसरे की चिन्ता हो। पड़ोसी से तथा पूरे गाँव से पारिवारिकता का विकास, पड़ोसी गाँवों और उससे आगे के वर्तुलों के साथ हितैक्य की दिशा में बढ़ना; व्यक्तिगत या पारिवारिक हित और गाँव तथा समाजहित में ध्याप्त विरोध की समाप्ति।
- (घ) सर्व के उदय की योजना बने, विषमता वर्ध-निराकरण की कोशिश हो, तथा शोषण और शासन-मुक्ति की दिशा में व्यवस्था-परिवर्तन हो।

- (च) मौलिक विकास तभी सार्यक है जब उससे मनुष्य का सांस्कृतिक विकास हो । जिस भौतिक विकास का ठोस सांस्कृतिक आधार नहीं होगा उससे मनुष्य की मनुष्यता नहीं प्रकट होगी ।

समग्र चित्र

क—सबके अभाव की पूर्ति के कार्यक्रम बनाये जायें, जिनमें प्रयत्न किया जाय कि—

१. गाँव की भूमिहीनता मिटे । बीघा-कट्टा में दान की भूमि, सामूहिक तथा सरकारी भूमि भूमिहीनो को काश्त के लिए मिले, अधिक भूमिवालो से भूमिहीनो के लिए दान माँगा जाय ।
२. गाँव में जो भी उद्योग-धन्धे शुरू किये जायें उनमें प्राथमिकता अन्तिम व्यक्ति को दी जाय ।
३. सबको काम और श्रम का उचित मूल्य मिले ।
गाँव का हर व्यक्ति अपना खुद का विकास महसूस करे; सामुदायिक विकास के नाम पर व्यक्ति की उपेक्षा न हो ।

ख—गाँव में आपसी सहकार का वातावरण बने, सामूहिक रूप से कुछ करने का अभ्यास हो । सामूहिक सुरक्षा की परिस्थिति का निर्माण हो, इसके लिए—

१. थोक व्यापार, उद्योग और 'त्रेडिंट' का ग्रामीकरण हो ।
२. सामूहिक योजनाओं में साधन और पूंजी के साथ ही थम को भी बराबरी का स्थान दिया जाय (गाँव के दायरे में थम को करेसी मानकर काम हो सके, ऐसी कोशिश हो)
३. सहकारी उत्पादन में औसत के बाद के अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग थमिक को मिले, यह तथा इसी प्रकार की दूसरी कोशिशें करनी होंगी ।

ग—गाँव के भीतरी और बाहरी हित-विरोध समाप्त हो, और 'सर्वहित'

की भावना और परिस्थिति बने इसकी कोशिश निरन्तर करनी होगी, यथा—

- १ भूमि का बीसवाँ हिस्सा निकालने, बाँटने, ग्रामसभा में सर्व सम्मति का तत्त्व दाखिल करने जैसे नये मूल्यों की स्थापना के कार्यक्रम से हित विरोध घटेंगे ।
- २ परस्पर विश्वास तथा निर्भयता का वातावरण बनाकर । ऐसी परिस्थिति लायी जाय कि अन्तिम ध्यवित भी अपनी बात खुलकर कह सके ।
- ३ जीवन को उदात्त मूल्यों की ओर ले जाने के शैक्षणिक कार्यक्रम का निरन्तर प्रयास, और अभ्यास हो ताकि लोगों का सस्वार सुधरे, और चिन्तन का स्तर ऊँचा उठे ।

विकास की योजना, सगठन, पूंजी

- १ उद्योगों के प्रकार के अनुसार योजना परिवार, गाँव और क्षेत्र को 'युनिट' मानकर बनेगी क्योंकि कुछ उद्योग पारिवारिक स्तर पर, कुछ ग्राम स्तर पर, कुछ क्षेत्र-स्तर पर चलेंगे । उससे आगे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय उद्योग भी चलेंगे ही । लेकिन योजना की प्रमुख इकाई गाँव ही होगी । योजना ऐसी हो जिसमें हर परिवार शरीक हो सके ताकि अन्तिम परिवारों की उपेक्षा न हो । लक्ष्य एक समग्र ग्राम योजना का विकास रहे ।
- २ विकास के काम के लिए 'ग्रामदान समिति' या 'ग्रामदान-सघ' का सगठन हो । ग्रामदान-सघा या ग्रामदान विकास-समितियों के सगठन का यह सिलसिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाय ।
- ३ योजना गाँव थी, साधन समाज का और प्रशिक्षण सस्था का इस तरह ग्रामदानी गाँवों के विकास की समन्वित योजना होगी ।

सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैरसरकारी सस्थाओं से साधन तथा प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क-समितियों का संगठन ग्रामदान-प्राप्ति-समिति अथवा निर्माण-समिति द्वारा किया जा सकता है। यह संगठन उन सस्थाओं के सामने ग्राम-विकास का ऋमिक चित्र पेश करे और सहायता के लिए प्रेरित करे।

४ लेकिन ग्रामदान विकास समिति या ग्रामदान सभ दूसरों की सहायता पर ही निर्भर न रहे, बल्कि विकास-कार्य के लिए गाँव में उपलब्ध साधनों और व्यक्तियों की क्षमता को ही अपना आधार बनाये। सुझाव के तौर पर—

ब—गाँव या क्षेत्र के पुराने अनुभवी और निवृत्त व्यक्ति गाँव के शिविरो में बुलाये जायें या लोग उनके पास जायें और उनके अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठायें।

ख—व्यापार का ग्रामीकरण हो। ग्राम-भण्डार के संगठन द्वारा गाँव में जो उत्पादन होता है उसे उचित मूल्य मिले और प्राथमिक दुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान गाँव में उचित दरों पर उपलब्ध हो, यह प्रयास किया जाय। गाँव में 'प्रोसेसिंग इंडस्ट्री' शुरू की जाय।

ग—स्थानीय साधनों से खाद तैयार करने का व्यापक अभियान चलाया जाय और अच्छे बीज प्राप्त करने और बाँटने का काम प्रखण्ड स्तर पर हो।

घ—सामूहिक श्रमदान का आयोजन हो। सरकार की विकास-योजना के विभाग से उस श्रमदान द्वारा जो निर्माण-कार्य हो उसका मूल्यांकन करके, सहायता प्राप्त की जाय और उसका पूरा या एक अंश गाँव की विकास-योजना में लगाया जाय।

५ ग्रामदानी गाँवों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय

स्तर पर साधन तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के लिए सगठन खड़े किये जायें। सर्व सेवा सभ तथा 'अवाडें' इस दिशा में प्रयत्नशील हो।

ग्रामदानी गाँव के शिक्षण की योजना

मुक्ति की घोषणा (ग्रामदान)

ग्रामसभा

सेवक समिति के ७ सदस्य
तथा
ग्रामसभा के कुछ अन्य उत्साही व्यक्ति

२ तकनीकी प्रशिक्षणार्थी

(शिविर-पद्धति) ← लोक-शिक्षण → (विद्यालय-पद्धति)

तीन दिन से सात दिन के शिविर—४ घण्टे रोज।
प्रति तीन महीने पर शिविर।
अभ्यासक्रम

६ महीने या १ साल का अभ्यासक्रम—
अम्बर से डेढ़ से दो रुपया रोज बचाने की क्षमता हो जाय।
अभ्यासक्रम

(१) ग्रामसभा का सगठन—

(क) घोषणा-पत्र तथा सवलप और समर्पण - पत्र भराना, बीघे - कट्टा निकालना, ग्रामकोष का सग्रह और विनियोग,

(ख) सर्वसम्मति, सर्वानुमति की पद्धति;

(१) वस्त्रोद्योग—

(क) कपास खेती, ओटाई, धुनाई, सादा चरखा, अम्बर,

बुनाई,
(क्षेत्रीय आधार पर

(ग) बैठको की कार्यवाही-
पुस्तिका, विवरण, प्रति-
वेदन आदि ।

लघु सरजाम, छपाई,
फाजिल वपडे की
वित्री)

(२) गांव का विकास—

(क) सर्व की सम्मति, सर्व की
शक्ति, सर्व का हित—
एकता और समता,
भेदो और विरोधो का
शान्तिपूर्ण हल, चुनाव
और दलबन्दी के दोष ।

(ख) सूत का अब, सूत की
खरीद, सूत की बद-
लौन, बुनकर की धीट,
वित्री,
हिसाब किताब ।

(घ) गांव की योजना,
गांव की बुद्धि, श्रम,
पूंजी का समोजन, बाहरी
मदद, श्रम-सहकार,
हिसाब - किताब, विव-
रण, वहाँ से शुरू करें ?

(२) प्रारम्भिक उपचार ।
(३) सफाई - कुँआ, टट्टीघर,
पेशाबघर ।

(४) झगडो का शान्तिपूर्ण
निबटारा ।

(५) गृह-वाटिका

(६) डायरी लिखना, दूसरा
✓ को विचार समझाना,
ग्रामशाला चलाना ।

(ग) उत्पादन-वृद्धि, खेती,
घादी, अथ उद्योग ।

(घ) शोषण-दमन - मुक्ति ।

(च) स्वस्थ पारिवारिक
जीवन,

(छ) सापेक्षमुक्त सामाजिक
सम्बन्ध ।

(३) गांव का अपने क्षेत्र,
जिले, राज्य और देश में

स्थान—दुनिया से नाता,
दूसरी सस्थाओं, दूसरे
गाँवों, और सरकार से
सम्बन्ध ।

(४) पट्टेस में ग्रामदान की प्राप्ति-
पंचायत, ब्लाक, जिला,
राज्य, देश के स्तर पर
ग्रामदान का संगठन ।

(५) गाँव की भूमिका में सबका ॥
लोकतन्त्र, सबका समाजवाद ।

नोट अभ्यासक्रम में प्रश्न और बातें जुड़ती जायेंगी ।

खादी-ग्रामोद्योग

खादी-ग्रामोद्योग द्वारा समाज का सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा बदलना है, इसलिए जातिगत पेशे के कारण उपलब्ध पारस्परिक कुशलता का मोह त्यागना चाहिए । और, नयी कृषि-औद्योगिक-विकेन्द्रित वैज्ञानिक आर्थिक रचना की भूमिका में काम करना चाहिए ।

(इस विषय पर सर्व सेवा सच की खादी-ग्रामोद्योग समिति के सुज्ञाप मान्य किये गये । देखें परिशिष्ट-१)

३. शान्ति-सेना (रक्षण)

ग्रामदान की घोषणा करके गाँव के लोग शान्ति की दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं । ग्रामदान की घोषणा के लिए जो आमोजन हो।उसमें, या दूसरे उपयुक्त अवसरों पर ग्रामदानी गाँवों के लोग धीला साफा बाँधें तो शान्ति की हवा बनेगी ।

१. शान्ति-समिति

ग्रामसभा सुरक्षा, सहकार और सम्मति की शक्ति विकसित करने के लिए एक शान्ति-समिति संगठित करे । शान्ति-समिति ग्रामभावना के

विकास के लिए प्रयत्नशील हो । शान्ति-समिति इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्न करे कि गाँव में पुलिस-अदालत का प्रवेश न हो, गाँव के झगड़े गाँव में ही सुलझा लिये जायें ।

२. शान्ति-सेवा-दल

शान्ति-समिति गाँव के युवकों का संगठन करे, उसके लिए योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । शान्ति-सेवा-दल गाँव में अशान्ति पैदा होनेवाली परिस्थिति में शान्ति-स्थापना का काम करे । सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो पहरा दे, प्रतिदिन एक घण्टा या सप्ताह में चार घण्टे गाँव के लिए ग्रामदान का कार्यक्रम आयोजित करे ।

ग्रामदान-प्राप्ति का काम करनेवाले शान्ति-सैनिक बनकर काम करें, उनके कार्यों में सुव्यवस्था तथा अनुशासन हो । हर ग्रामदानी गाँव में कम-से-कम १० शान्ति सेवक (या शान्ति सैनिक) बनाये जायें ।

३० जनवरी को शान्ति-समिति, शान्ति-सेवा-दल और शान्ति-सैनिक मिलकर शान्ति-स्थापना का सकलप दुहरायें ।

४. अन्य (विशेष बातें)

(अ) गोष्ठी के कुछ सुझाव

१. आन्दोलन की ओर जन-समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए शान्ति की 'इमेज' को प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है । ग्रामदान-मूलक-शान्ति की 'इमेज' कार्यकर्ता समाज के सामने रख सकें, इसके लिए उनका योग्य प्रशिक्षण होगा चाहिए जिसके लिए राज्य से लेकर जिला या प्रयण्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं के शिक्षण-निगिर देण में आयोजित विधे जायें ।
२. विचार-पुष्टि के लिए ऐसे कार्यकर्ता जो ग्रामदान-मूलक शान्ति की पूरी 'इमेज' प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हों, ग्रामदानी गाँवों में सपन लोक-शिक्षण की यात्राएँ करें ।
३. ग्रामदान-आन्दोलन के शान्ति-दर्शन की सशिक्षित लेखिन सम्पूर्ण

सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाली पुस्तिका तथा कार्यकर्ताओं के लिए एक 'ग्रामदान-मैनुअल' सर्व-सेवा-संघ तैयार कराये ।

४. ग्रामदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'ग्रामदान ओरियेन्टेड ट्रेनिंग' की पूरी योजना सर्व-सेवा-संघ तैयार करे और खादी-ग्रामोद्योग आयोग को भेजे ।
५. 'अखिल भारत ग्रामदान-सहकारी परिषद्' का संगठन किया जाय ।

(ब) गोष्ठी की चर्चा में से निकले हुए विशेष अध्ययन व शोध के कुछ विषय

१. सर्वसम्मति और सर्वानुमति की पद्धति, प्रक्रिया का शोध हो ।
२. ग्रामदानी गाँवों में धर्म को पूँजी में बदलने की प्रक्रिया क्या हो ?
३. ग्रामदान-तूफान की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और समाज पर उसके 'इम्पैक्ट' का अध्ययन किया जाय ।
४. 'रिसोर्सेज', 'डिमान्ड', 'लेबर' तीनों को जोड़ने का तरीका क्या हो ?

(स) प्रयोग व चिन्तन के कुछ पहलू

१. ग्रामसभा कोई गलत निर्णय ले तो उसे कौन रोकेगा ? सरकार-शक्ति, क्षेत्रीय संगठन, कार्यकर्ता या गाँव में ही कोई ऐसी तटस्थ शक्ति ?
२. ग्रामदानी गाँवों के युवकों का प्रशिक्षण—ग्रामसभा के संचालन, ग्रामकोष की व्यवस्था आदि के लिए 'सिलेबस', संगठन, संचालन ।
३. शान्ति-सेना ३० जनवरी को शान्ति के लिए सामूहिक रूप से सवल्प दुहराये; संकल्प क्या ?

अगली गोष्ठी में मुख्य रूप से गाँव की आर्थिक रचना, प्रघण्डदान, ग्रामदान में षण्ड, अन्याय का प्रतिकार, संगठन, उद्योग, उत्पादन, मुद्रा, विनियोग और परिवार-निर्माण पर सविस्तार चर्चा हो ।

खादी समिति के सुझाव

पू० विनोबाजी को खादी के वर्तमान कार्यक्रम से सन्तोष नहीं है । वे खादी के वर्तमान स्वरूप और काम करने के ढंग को, बदल देना चाहते हैं । बुनाई-छूट तथा त्रिविध कार्यक्रम के निर्णय को स्वीकार कर लेने के बाद भी खादी की पटरी नहीं बदली है, और न दिशा-परिवर्तन ही हुआ है, ऐसा उन्हें लगता है । दूसरी तरफ खादी की विक्री उत्पादन के अनुपात में न होने के कारण सस्थाओं की पूंजी स्टॉक में फँसती जाती है और सस्थाओं के लिए स्टॉक को निकालने की समस्या बनती जा रही है । सस्थाओं को इस दिक्कत से निकालने के लिए तथा उनके उत्पादन के कार्यक्रम को अक्षुण्ण रखने के लिए कमीशन ने निश्चय किया था कि सस्थाओं के उत्पादन का २५ प्रतिशत तब सूत सरकार को दे दिया जाय ।

कमीशन के सन्धियों ने इस प्रश्न पर तथा इससे सम्बन्धित दूसरे कई प्रश्नों पर विनोबाजी से वार्तालाप किया । विनोबाजी के साथ गहराई से चर्चा हुई ? इस बातचीत में स्पष्ट हुआ कि विनोबाजी को सरकार को सूत देनेवाला निर्णय पसन्द नहीं आया । उन्होंने यह भी जाहिर किया कि बिना खादी का वर्तमान स्वरूप बदले खादी का भविष्य सुरक्षित नहीं है । जब तक खादी को जनता का संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक केवल सरकार के संरक्षण पर खादी चलनेवाली नहीं है । जनता का संरक्षण मिले इसके लिए खादी के काम की दिशा को बदलना ही होगा ।

अधिल भारतीय खादी प्रामोचोग बोर्ड ने विनोबाजी के इस विचार को स्वीकार किया, और श्री रामचन्द्रन्, श्री देवकरण सिंह तथा श्री सोमदत्त

की एक उपसमिति बनायी जिसे इस प्रश्न पर विचार करना था कि वर्तमान काम के स्वरूप में क्या-क्या परिवर्तन किये जायें, जिससे पू० विनोबाजी द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम को अपनाया जा सके।

उपसमिति ने उपरोक्त प्रश्न पर विचार किया, तथा कुछ सुझाव रखा, जो निम्न प्रकार है—

(१) चर्चा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि खादी का वर्तमान काम सस्थागत काम है उसका स्वरूप बदलकर ग्रामगत हो जाना चाहिए। यानी आज तक सस्थाएँ अपने काम के योगक्षेम की चिन्ता के कार्यक्रम बनाती हैं कि काम कहीं फैलाना, किस प्रकार आदि। अपने उत्पादन को किस प्रकार बेचना यह चिन्ता रहती है। इस सारे कार्यक्रम का विचार तथा उसकी एकमात्र सस्थाओं की चिन्ता का विषय रहता है।

लेकिन भविष्य में ग्राम-ग्राम में ग्रामसभाएँ बनायी जायें। उन्हें प्रेरित किया जाय कि उनके क्षेत्र में चलनेवाला या आगे चलाया जानेवाला कार्यक्रम उनका खुद का कार्यक्रम हो। इस काम की बाबत उन्हें ही सोचना है, उन्हें ही क्रियान्विति भी करना है। अब गाँव की जरूरत का कपडा बनाने के लिए आवश्यक चरखा चलाना, उस सूत को बुनवाना, तथा उत्पादन को गाँव में खपा लेना, यह सारा कार्यक्रम ग्रामसभा का रहेगा। खादी-सस्थाएँ इस कार्यक्रम में निष्णात हैं इसलिए उनसे सहायता के रूप में तकनीकी मागदर्शन ग्रामसभा को मिलेगा।

(२) इस प्रकार का कार्यक्रम देश के कुछ भागों में चल भी रहा है। तमिलनाडु सर्वोदय सघ तथा सीराष्ट्र के चलाला में इही आधारों पर काम चल रहा है। समिति ने सुझाया कि इस प्रकार के कार्यक्रम जहाँ-जहाँ चल रहे हैं वहाँ-वहाँ की विस्तृत जानकारी सब सस्थाओं को दी जाय।

इस जानकारी को देने के साथ-साथ कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की २-२, ४-४ की टोलियाँ बनाकर सर्वत्र भेजी जायें। ये टोलियाँ राज्यों की हर कमिश्नरी में जायें जहाँ खादी-काम होता है। ये टोलियाँ राज्य की कुल सस्थाओं से एकर न मिलकर एक-एक कमिश्नरी की सस्थाओं से मिलें। उन्हें विनोबाजी का यह विचार समझायें तथा उनसे सामने सारा कार्यक्रम प्रस्तुत करें और उन्हें अपने ग्राम की नयी दिशा देने में प्रेरित करें।

वे जाते हैं इन टोलियों का चयन खादी समिति शीघ्र ही करे तथा खादी बुनाई-पीसान इनके प्रवास-व्यय की व्यवस्था करे।

भी खादी (३) खादी-काम को ग्रामसभाओं द्वारा अपना लिये जाने के उन्हें लक्ष्मी की क्रियान्विति के लिए निम्न कार्यक्रम बन जाना चाहिए।

हर एक सस्था अपने अन्तर्गत कुल ग्रामों में से —

- | | |
|------------------|------------------------|
| प्रथम वर्ष में | ५ प्रतिशत गाँवों में, |
| द्वितीय वर्ष में | १० प्रतिशत गाँवों में, |
| तृतीय वर्ष में | १० प्रतिशत गाँवों में |

ग्रामसभा बना दे और उन्हें अपना काम सौंप दे। ग्रामसभा काम की स्वीकार करती है, इससे सबके स्वरूप उनको अपने ग्राम के उत्पादन का अक्षुण्ण प्रतिशत अपने यहाँ खपाने का भी महत्त्व लेना होगा।

(४) यह भी वांछनीय समझा गया कि ग्रामसभा तथा खादी-सस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रम के माध्यम-माध्यम कृषि, गोपालन तथा ग्रामोद्योगों का समुदाय कार्यक्रम बनाया जाना भी उपयोगी होगा। ग्रामोद्योगों में रेशम-उद्योग, धर्मोद्योग, तेलघानी, मूत्र खाद्यकारी उद्योग भी प्रायः सार्वत्रिक खण्ड सकते हैं। इनके अलावा धान-कुटाई उद्योग भी बहुत-से क्षेत्रों में बना सकता है। चूना-उद्योग तथा इंट-बट्टा भादि भी वहाँ-वहाँ सम्भव हैं। पत्तों का गन्ने के हैं, ग्रामों में चलनेवाले बड़ईगिरी व मोटारगिरी के उद्योग को कमीशन द्वारा

स्वीकृत सरनाम कार्यालयके अंतर्गत ले लिया जाना चाहिए, ताकि ग्राम की जरूरत की पूर्ति हो सके ।

(५) (क) उपसमिति की यह भी सिफारिश है कि भविष्य में पारम्परिक चरखे के स्थान पर अम्बर-चरखे पर ज्यादा जोर दिया जाय । जहाँ पारम्परिक चरखा देना भी हो वहाँ भी १ तकुआ २ तकुआ का अम्बर चरखा ही दिया जाय । उससे उत्पादन बढ़ने की वजह से कस्तिन की आमदनी बढ़ेगी तथा सूत की मजदूरी की वजह से बुनाई में सुविधा होगी व कपड़े का पीत सुधरेगा । इससे खादी की कीमत कम करने में सहायता होगी ।

(ख) भविष्य में खादी-संस्थाएँ सुधरे औजार ही देंगी—चाहे चरखा देना हो चाहे कपड़ा । पुराने अविकसित अनुन्नत औजार बिलकुल नहीं दिये जायेंगे, ताकि उत्पादन की क्षमता व गुणवत्ता में सुधार हो ।

(ग) अम्बर चरखे पर धाज दिया जानेवाला रिबेट नाकाफी है, वह बढ़ाया जाना चाहिए ।

(घ) अम्बर चरखे की कताई के लिए अभी तक कस्तिनो को पट्टे दिये जाते रहे हैं । समिति की सिफारिश रही कि भविष्य में उन्हें टैप ही दिया जाय और प्रयत्न किया जाय कि कताई भी विभक्त प्रक्रियाओं द्वारा हो । टैप देने से एक प्रक्रिया की बचत होगी । विभक्त कताई होने से कताई की मजदूरी बढ़ जायगी ।

(ङ) अम्बर चरखों का और विस्तार किया जाय । इस प्रकार अम्बर तथा पारम्परिक सूत का पूर्णिक किया जाना चाहिए । दोनों का पूर्णिक कर देने से सूत की कीमत कम हो जायगी ।

अम्बर व पारम्परिक सूत का अनुपात क्रमशः ५०-५० का हो जाय । यह अनुपात अधिक-से-अधिक ३ साल में कर लिया जाय । जहाँ अम्बर-कार्यक्रम पूरा चल रहा है वहाँ पर भी १० प्रतिशत अम्बर हर साल बराबर बढ़ाते रहना चाहिए ।

(घ) इस समय तस्याओ द्वारा काम चलने के कारण उत्पादन पर व्यवस्था-खर्च बहुत बढ जाता है । यह व्यवस्था-खर्च कम-से-कम हो यह आवश्यक है । उपसमिति की राय रही कि यदि ग्रामसभा अपने ग्राम में से किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस काम का शिक्षण देकर उसकी मार्फत काम करवाये तो व्यवस्था-खर्च में काफी कमी हो जायगी और इस प्रकार ग्राम को अपने उत्पादन पर ज्यादा व्यवस्था-खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

(छ) रेडीमेड वस्त्रो की प्राप्ति का भी प्रबन्ध हो । दूसरे राज्यों को व उत्पादन-केन्द्रो की खादी मुलभ करने की व्यवस्था हो ।

(ज) छपे पोस्टर आदि से मुपन बुनाई की जानकारी अधिकाधिक गाँवों में दी जाय ।

(झ) हर स्थान पर स्थानीय बुनाई पट्टी की जाय । हर ब्लॉक में कम से-कम एक बुनाई-केन्द्र अवश्य हो । पहले वर्ष में ही रूत का १० प्रतिशत स्थानीय व्यवस्था से बुना जाय ।

(ञ) बुनाई-केन्द्रो का विस्तार हो इसके लिए आवश्यक है कि बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाय व नये-नये बुनकरों के पुनर्वास का भी प्रबन्ध विया जाय । कई जगह नये बुनकर बुनाई का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं । ऐसे लोगो को अपने मदान में पट्टी आदि लगाने के लिए जो मरम्मत आदि करनी पडती है उसे भी पुनर्वास ही मानना चाहिए और उगचे लिए पुनर्वास की सहायता दी जाय ।

(ट) स्थानीय घपत के लिए बदलौन विया जाना आवश्यक है और बदलौन में बुनाई छूट पूरी-पूरी मिलनी चाहिए तथा व्यवस्था-खर्च भी पूरा ही मिलना चाहिए । इस समय मानव बुनाई से अतिरिक्त बुनाई घाटन को देनी होती है तथा व्यवस्था-खर्च भी पूरा देना होता है । इस कारण बदलौन की खादी मट्टेगी हो जाती है ।

(६) आजरतल हर राज्य में खादी के भावपत्रक एक जैसे ही

बनाये जाते हैं। जिन गाँवों में स्थानीय खपत के लिए खादी बुनाई हो वहाँ का भावपत्रक वहाँ की स्थिति के अनुसार बनाया जा सकेगा। वहाँ के लिए सारे 'जोन' का भावपत्रक एक जैसा हो यह बग्यन नहीं होगा।

(७) खादी काम का बराबर विस्तार हो रहा है। इस विस्तार में यह ध्यान रखना होगा कि ६ अप्रैल, १९६६ के बाद नये पारम्परिक चरखे न बढ़ाये जायें। यह केवल व्यापारिक खादी उत्पादन के लिए ही है। स्वावलम्बन के लिए पारम्परिक चरखा चलाया जा सकता है। एक विचार यह भी था कि इस प्रकार के पारम्परिक चरखे पर रिबेट देना ही बन्द कर दिया जाय। स्वावलम्बन के साथ-साथ कमीशन द्वारा प्रतिपादित 'वीकर-सेक्शन' व 'हिलवार्डर एरिया' में पारम्परिक चरखे पर यह रोक नहीं होगी।

(८) यह भी वाञ्छनीय समझा गया कि बड़ी सस्याओं का विकेन्द्रीकरण हो। इस समय कई स्थानों पर छोटी सस्याएँ भी बन रही हैं। सामान्यतः छोटी सस्या का कार्यक्षेत्र एक ब्लॉक लिया जाना चाहिए।

सारी चर्चा करके यह भी सोचा गया कि अब २५ हजार गाँवों में सघन विकास का कार्यक्रम अपनाया गया है। इस कार्यक्रम को ऊपर लिखे तरीके से ही यानी ग्रामसभा के माध्यम से ही चलाया जाय। पुराना तरीका इन गाँवों के विकास के लिए बिलकुल न अपनाया जाय। ●

परिशिष्ट : २ (अ)

ग्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र

हम जिला अचल (या विवास घण्ट)
थाना (तहसील) पचायत ग्राम .
के निवासी सत विनोबाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य के विचार को अच्छी
तरह से समझ-बूझकर अपने गाँव के लिए ग्रामदान करते हैं और इस उद्देश्य
के निमित्त —

१ हम अपनी कृषि-योग्य भूमि को बम-बे-बम पाँच पीसदी अर्थात्
बीसवाँ हिस्सा भूमि अपने गाँव के भूमिहीन भाइयों के लिए देने हैं । भूमि-
हीनों को भूदान द्वारा इसके पूर्व बाँटी हुई जमीन इसमें शामिल कर ली
जायगी ।

का तीसरा हिस्सा जहाँ स्पष्ट न हो वहाँ ग्रामसभा वह हिस्सा तय करेगी, जैसे—व्यापार की आय, व्यापार की कुल आमदनी नहीं बल्कि आमदनी का वह भाग माना जायगा जो मालिक के हिस्से में रहता हो) अथवा आगे जो भी ग्रामसभा तय करे, नकद या श्रम के रूप में ग्रामसभा को देंगे ।

इस प्रकार जो पूंजी बनेगी उससे गाँव की भलाई और विवास का कोई भी कार्य जो ग्रामसभा समय-समय पर तय करे, किया जा सकेगा । इस प्रकार के सारे कामों में सदैव उन लोगों की भलाई को पहले ध्यान में रखा जायगा जो ज्यादा जरूरतमन्द या असहाय हो ।

४ गाँव के प्रत्येक वयस्क को सम्मिलित कर हम ग्रामसभा का गठन करेंगे । वह ग्रामसभा ग्राम-भाता की तरह गाँव में सब लोगों की देखभाल करेगी । ग्रामसभा का संचालन सर्वसम्मति अथवा सर्वानुमति से होगा ।

विशेष सूचना ग्रामदान की घोषणा निम्न शर्तें पूरी होने पर ही की जा सकती है —

१ गाँव में रहनेवाले भूमिदानों में ७५ प्रतिशत भूमिदानों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हो ।

२ गाँव में रहनेवाले भूमिदानों की गाँवों में जो जमीन हो उसमें से कम-से-कम ५१ प्रतिशत भूमि ग्रामदान में शामिल हुई हो ।

३ गाँव में रहनेवाले कुल बालिकाओं में से ७५ प्रतिशत ग्रामदान में शामिल हुए हो ।

कार्य

क्रम-संख्या	पूरा नाम	जमीन का खर्चा (अन्दाज से)	धन्दा	हस्ताक्षर

गाँव की जानकारी

- १ गाँव में रहनेवाले भूमिदानों की जोत की गाँव में कुल भूमि (अन्दाजन)
- २ गाँव में रहनेवाले जमीन के मालिकों की संख्या
- ३ गाँव में रहनेवाले वालियों की संख्या
- ४ ग्रामदान में शामिल जमीन का रकबा
- ५ ग्रामदान में शामिल जमीन के मालिकों की संख्या
- ६ ग्रामदान में शामिल अन्य वालियों की संख्या
- ७ घोषणा-पत्र भरानेवाले टोली-नायक का नाम व पता
- ८ ग्रामदान की घोषणा की तिथि ।



परिशिष्ट : २ (आ)

ग्रामदान का व्यक्तिगत समर्पण-पत्र

मैं जिला अचल (विकास खंड)
थाना (तहसील) पंचायत ग्राम
का निवासी सत विनोबाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य का विचार अच्छी
तरह समझ-बूझकर ग्राम की मेरे खाते की कुल जमीन की
मालकियत ग्राम-सभा को समर्पित करता हूँ ।

१ मैं अपनी कृषि-योग्य भूमि का कमसे-कम पाँच फीसदी अर्थात् बीसवाँ हिस्सा भूमि अपने भूमिहीन भाइयों के लिए देता हूँ ।

२ भूमिहीनों के लिए (कम-से-कम पाँच फीसदी) भूमि निबाल देने के बाद जो जमीन हमारे पास रहेगी उसे काश्त करने का हक हमें रहेगा, तथा हमारे उत्तराधिकारियों को रहेगा । ग्रामसभा की अनुमति से हम इस जमीन को सरकार तथा सहकारी समिति को कर्ज के लिए रेहन रख सकेंगे, अथवा ग्रामसभा को या ग्रामदान में शामिल किसी सदस्य परिवार को बेच सकेंगे ।

३ इस जमीन का ब्योरा नीचे दिया है

गाँव का नाम जमीन का नम्बर रकबा

४ यह जमीन रेहन नहीं है / यह जमीन रेहन है । रेहन का ब्योरा नीचे दिया गया है

किसके पास रेहन है

कितने रुपये के लिए रेहन है

सूद की दर

कितना रुपया चुबाना शेष है . . .

५ मेरे ऊपर रेहन के सिवाय सरकार का और अन्य व्यक्तियों का कर्जा नहीं है/है।

इसका ब्योरा नीचे दिया है

कर्ज देनेवाले का नाम

कर्ज की रकम

सूद की दर

कितना रुपया चुकाना शेष है

दस्तखत

गवाह का नाम

१ (हस्ताक्षर)

२

नोट यदि जमीन की मालकियत का खाता सम्मिलित हो तो सभी खाते धारो के हस्ताक्षर होने चाहिए। ●

परिशिष्ट : ३

ग्रामदान-गोष्ठी में भाग लेनेवालों की सूची

उत्तर प्रदेश

- १ श्री कपिलभाई
- २ श्री सुन्दरलाल बहुगुणा
- ३ श्री रामवृक्ष शास्त्री
- ४ श्री लोकेन्द्रभाई
- ५ श्री देवतादीनभाई
- ६ श्री नन्दलालभाई
- ७ सुश्री क्रान्तिबाला

बिहार

- ८ श्री निमलचन्द्र
- ९ श्री रामश्रेष्ठ राय

असम

- १० श्री रवीन्द्रनाथ उपाध्याय
- ११ श्री माणिकचन्द्र शाहबिया
- १२ श्री चुन्नीभाई वैद्य
- १३ श्री निरत बडा

उड़ीसा

- १४ श्री मनमाहन चौधरी

आन्ध्रप्रदेश

- १५ श्री वेकट रामाराय

मद्रास

- १६ श्री एस० जगन्नाथन्
- १७ श्री वी० रामचन्द्रन्
- १८ श्री के० एम० नटराजन्
- १९ श्री आर० वरदन्

महाराष्ट्र

- २० श्री रा० कृ० पाटिल
- २१ श्री ठाकुरदास बग
- २२ श्री गो० रा० देशपाण्डे
- २३ श्री मुरलीधर घाटे
- २४ श्री नन्दलाल वावरा
- २५ श्री प्र० गा० शेदुर्गीकर

गुजरात

- २६ श्री हरिवल्लभ परीघ
- २७ श्री फरसनदास पाछाणी
- २८ श्री द्वारकादास जोशी
- २९ श्री डा० जे० आर० दोपी

राजस्थान

- ३० श्री सिद्धराज ढड्डा
(गोष्ठी के अध्यक्ष)
- ३१ श्री पूर्णचन्द्र जैन
- ३२ श्री छीतरमल गोयक

मध्यप्रदेश

- ३३ सुश्री निर्मल वैद
 ३४ सुश्री निर्मला देशपाण्डे
 ३५ श्री महेन्द्रकुमार
 ३६ श्री नरेन्द्र दूवे

पंजाब

- ३७ श्री दयानिधि पटनायक
 सर्व सेवा सघ, वाराणसी
 ३८ श्री जयप्रकाश नारायण
 ३९ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
 ४० श्री दादा धर्माधिकारी

- ४१ श्री राधाकृष्ण
 ४२ श्री राममूर्ति
 ४३ श्री नारायण देसाई
 ४४ श्री कृष्णराज मेहता
 ४५ श्री प्रेमभाई
 ४६ श्री कृष्णकुमार
 ४७ श्री रामचन्द्र राही

गांधी विद्या सत्यान, वाराणसी

- ४८ श्री सुगतदास गुप्ता
 ४९ श्री बी० बी० चटर्जी
 ५० श्री एस० एस० अम्यर

ग्रामदान-साहित्य

हिजीवी गाँव इजराइल का एक प्रयोग	मुमुषु वरात्ज	३००
मेरा गाँव	बबलभाई महेता	२५०
गाँव जग उठा	(चित्रावली)	२००
कोरापुट में ग्राम विकास का प्रयोग	अण्णा सहस्रबुद्धे	२००
तानिलनाड के ग्रामदान	वसन्त व्यास	२००
कोरापुट में ग्रामदान	" "	२००
ग्रामदान निर्देशिका	रिपोर्ट	२००
घरती के गीत	दुखायल	१५०
सवादय-संयोजन		१००
आंध्र के ग्रामदान	वसन्त व्यास	१००
मध्यप्रदेश का ग्रामदान मोहसरी	" "	१००
ग्रामदान सका और समाधान	धीरेन्द्र मजूमदार	१००
घरतीमाता की गोद में	नारायण देसाई	०७५
सर्वोदय विचार		०७५
अकिली की कहानी	यदुनाथ शर्मा	०६०
ग्राम-स्वराज्य	ठाकुरदास बग	०५६
ग्रामराज क्या ?	प्रो० गोरा	०३७
अपना गाँव	ठाकुरदास बग	०३७
अपना राज्य		०३७
सामूहिक प्रार्थना	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	०३०
खादी कार्यकर्ता और ग्रामदान		०३०
गाँव का गोकुल	अण्णासाहब पटवर्धन	०२५
नगर-स्वराज्य	ठाकुरदास बग	०२५
लोक राज्य	शकरराव देव	०२५

ग्राम-स्वराज्य माला

ग्रामदान भागदर्शिका (भाग १)	मनमोहन चौधरी	०५०
ग्राम-स्वराज्य का त्रिविध कार्यक्रम		०५०
गाँव गाँव में अपना राज		०५०
ग्रामदान क्या है ?		०३५
शांति सेना क्या है ?		०३५
गाँव की खादी		०२५

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी